

परिशिष्ट



**परिशिष्ट 1.1**  
**राज्य प्रोफाइल**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य प्रोफाइल									
क. सामान्य डाटा									
क्र.सं.	विवरण								आंकड़े
1	क्षेत्र								44,212 वर्ग कि.मी.
	जनसंख्या								
2	क	2001 की जनगणना के अनुसार							2.11 करोड़
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार							2.54 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व <sup>1</sup> (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)								573 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा <sup>2</sup> से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत)								11.16 प्रतिशत
5	साक्षरता <sup>3</sup> (2011) (अखिल भारतीय औसत=73 प्रतिशत)								75.60 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु-दर <sup>4</sup> (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=30 प्रति 1000 सजीव जन्म)								27
7	जन्म <sup>5</sup> पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=69.4 वर्ष)								69.8 वर्ष
8	गिनी गुणांक <sup>6</sup>								
	क	(अखिल भारतीय=35.70)							ग्रामीण 0.30
	ख								शहरी 0.36
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2020-21 <sup>7</sup>								₹ 7,64,872 करोड़
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21)								हरियाणा 9.23
11	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य								उपलब्ध नहीं
12	अखिल भारतीय								8.08
13	स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21)								हरियाणा 11.06
14	अखिल भारतीय								9.48
15	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2021)								16.01
16	अखिल भारतीय की जनसंख्या <sup>8</sup> वृद्धि (2011 से 2021)								12.30
ख वित्तीय आंकड़े									
विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)							
		2011-12 से 2014-15		2015-16 से 2018-19		2018-19 से 2019-20		2019-20 से 2020-21	
सी.ए.जी.आर		पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का	13.49	10.10	11.85	11.47	2.08	2.99	(-).4.56	(-).0.44
ख	स्वयं के कर राजस्व का	11.86	10.64	11.04	11.23	2.12	0.57	(-).4.43	(-).2.13
ग	कर-भिन्न राजस्व का	14.75	(-).0.77	10.88	18.81	23.38	(-).7.22	(-).35.60	(-).5.93
घ	कुल व्यय का	14.99	12.18	10.54	5.49	4.16	11.38	4.54	(-).6.05
ङ	पूँजीगत व्यय का	13.26	(-).11.55	3.45	30.34	(-).5.55	15.41	(-).2.36	(-).66.77
च	राजस्व व्यय का	15.32	15.32	12.05	9.20	5.92	9.97	5.63	6.01
छ	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	13.28	13.89	8.89	8.51	11.97	14.26	(-).1.32	(-).3.11
ज	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	19.11	21.95	14.74	13.87	8.27	21.59	14.65	13.62
झ	वेतन एवं मजदूरी का	10.09	12.95	10.33	8.91	9.07	13.17	2.27	1.03
ञ	पेंशन का	12.99	12.81	15.32	14.55	10.46	8.51	6.02	9.96

1 कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त

2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

3 जनगणना 2011

4 एस.आर.एस. बुलेटिन 2019 (अक्टूबर 2021)

5 एस.आर.एस. आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2014-18 (सितंबर 2020)

6 विश्व बैंक, [http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data\\_2312/DatabookDec2014%20106.pdf](http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf).

7 सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई सूचना।

8 भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (2011-36), भारत के महापंजीयक

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.4.2; पृष्ठ 8)

31 मार्च 2021 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 को	देयताएं		31 मार्च 2021 को
1,83,785.60		आन्तरिक ऋण	2,03,958.21
	1,35,664.18	ब्याज युक्त बाजार ऋण	1,61,214.18
	2.26	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.26
	शून्य	जीवन बीमा निगम से ऋण	शून्य
	38,754.04	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	34,381.04
	9,365.12	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	8,360.73
1,705.45		केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	5,851.97
		1984-85 से पूर्व के ऋण	
	38.64	योजनेत्तर ऋण	37.04
	1,298.58	राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण	970.02
	368.23	विधार्थ स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण	4,844.91
200.00		आकस्मिक निधि	1,000.00
16,962.46		लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	17,996.91
7,921.80		जमा	9,471.56
8,494.35		आरक्षित निधियां	7,823.91
		उचंत तथा विविध शेष	
273.74		प्रेषण शेष	312.85
2,19,343.40			2,46,415.41
31 मार्च 2020 को	परिसम्पत्तियां		31 मार्च 2021 को
1,12,228.40		स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	1,18,035.14
	36,922.92	कम्पनियों, निगमों, इत्यादि के शेयरों में निवेश	37,566.55
	75,305.48	अन्य पूंजीगत परिव्यय	80,468.59
7,390.30		ऋण एवं अग्रिम	7,884.05
	1,349.09	बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	1,179.37
	5,964.85	अन्य विकास ऋण	6,492.24
	76.36	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	212.44
0.74		अग्रिम	0.74
70.49		उचन्त एवं विविध शेष	24.24
-		प्रेषण शेष	
3,999.47		नकद	3,147.94
	0.54	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	(-)1,644.93	रिजर्व बैंक में जमा	(-)463.47
	2.83	विभागीय नकद शेष	3.34
	0.12	स्थायी अग्रिम	0.12
	2,332.87	नकद शेष निवेश	1,564.72
	3,308.04	आरक्षित निधि निवेश	2,042.69
95,654.00		सरकारी लेखाओं पर घाटा	1,17,323.30
	16,990.08	(i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	22,385.59
	78,663.92	(ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	95,654.00
		(iii) विविध सरकारी लेखे	(-)1,516.29
		(iv) आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन	800.00
2,19,343.40		कुल	2,46,415.41

स्रोत: वित्त लेखे

**परिशिष्ट 2.1**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 16)  
वर्ष 2020-21 हेतु प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ		2020-21	संवितरण		
	2019-20			2019-20		2020-21
<b>भाग क: राजस्व</b>						
<b>I. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>67,858.13</b>		<b>67,561.01</b>	<b>I. राजस्व व्यय</b>	<b>84,848.21</b>	<b>89,946.60</b>
कर राजस्व	42,824.95	41,913.80		<b>सामान्य सेवाएं</b>	<b>31,883.95</b>	<b>34,734.17</b>
कर भिन्न राजस्व	7,399.74	6,961.49		<b>सामाजिक सेवाएं</b>	<b>33,726.47</b>	<b>36,163.96</b>
संघीय करों में राज्यांश	7,111.53	6,437.59		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	14,479.34	14,029.47
नॉन प्लान अनुदान	-	-		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,472.43	5,081.05
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	-	-		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	5,147.25	5,914.79
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	-	-		सूचना एवं प्रसारण	228.42	132.81
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों	2,851.99	3,135.18		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	287.19	376.01
वित्त आयोग अनुदान	2,005.74	2,364.00		श्रम एवं श्रम कल्याण	909.42	935.17
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	5,664.18	6,748.95		समाज कल्याण एवं पोषण	8,186.66	9,686.43
				अन्य	15.77	8.23
				<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>19,237.78</b>	<b>19,048.47</b>
				कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ	3,201.01	4,205.56
				ग्रामीण विकास	3,956.62	4,498.67
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,492.00	1,574.44
				ऊर्जा	7,015.30	5,788.32
				उद्योग एवं खनिज	392.19	390.60
				परिवहन	3,078.58	2,442.29
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	24.98	31.83
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	77.10	116.76
				<b>सहायता अनुदान तथा अंशदान</b>	<b>शून्य</b>	
<b>II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा</b>	<b>16,990.08</b>		<b>22,385.59</b>	<b>II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य</b>		
<b>योग भाग क</b>	<b>84,848.21</b>		<b>89,946.60</b>		<b>84,848.21</b>	<b>89,946.60</b>
<b>भाग ख- अन्य</b>						
<b>III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष</b>	<b>2,985.55</b>		<b>3,999.47</b>	<b>III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट</b>		
<b>IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>54.01</b>		<b>62.96</b>	<b>IV. पूंजीगत परिव्यय</b>	<b>17,665.93</b>	<b>5,869.70</b>
				<b>सामान्य सेवाएं</b>	<b>586.16</b>	<b>387.61</b>
				<b>सामाजिक सेवाएं</b>	<b>3,233.56</b>	<b>2,986.12</b>
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	388.28	409.32
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	510.17	766.37
				जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,152.86	1,594.50
				सूचना एवं प्रसारण	40.30	80.00
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.50	0.48
				समाज कल्याण एवं पोषण	22.08	64.55
				अन्य	117.37	70.90

प्राप्तियां			संवितरण				
	2019-20		2020-21		2019-20	2020-21	2020-21
				आर्थिक सेवाएं	13,846.21		2,495.97
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	4,477.27	(-)1,171.85	
				ग्रामीण विकास	28.59	97.06	
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,400.82	1,365.75	
				ऊर्जा	5,829.63	527.09	
				उद्योग एवं खनिज	13.21	4.79	
				परिवहन	1,819.45	1,513.34	
				विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	11.50	23.00	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	265.74	136.79	
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	5,392.63		431.95	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,309.25		925.70
बिजली परियोजनाओं से	5,282.76	225.87		बिजली परियोजनाओं हेतु	160.63	56.15	
सरकारी कर्मचारियों से	68.62	65.63		सरकारी कर्मचारियों को	68.87	201.71	
अन्य से	41.25	140.45		अन्यों को	1,079.75	667.84	
VI राजस्व आधिक्य भाग क से अग्रणीत	-	-		VI. राजस्व घाटा भाग क से अग्रणीत	16,990.08		22,385.59
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	44,431.82		53,816.73	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	15,775.51		29,497.60
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण			
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त)	43,067.68	44,362.72		आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त)	14,249.88	24,190.11	
अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	1,261.75	4,977.33		अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल लेनदेन	1,261.75	4,977.33	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	102.39	4,476.68 <sup>1</sup>		केन्द्रीय सरकार के ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	263.88	330.16	
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	शून्य		800	VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	शून्य		800
IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि				IX. आकस्मिक निधि से व्यय			
X. लोक लेखा प्राप्तियां	45,047.46		53,760.90	X. लोक लेखा संवितरण	42,171.23		50,245.48
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	3,670.12	3,604.79		लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि.	2,422.89	2,570.34	
आरक्षित निधियां	2,317.15	1,342.32		आरक्षित निधियां	138.40	2,012.76	
उचन्त एवं विविध प्रेषण	1,029.73	2,610.02		उचन्त एवं विविध प्रेषण	1,042.99	1,047.48	
जमा एवं अग्रिम	8,919.27	8,795.19		जमा एवं अग्रिम	8,973.01	8,756.08	
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से संवरण ओवरड्राफ्ट	29,111.19	37,408.58		XI. अंतिम रोकड़ शेष	3,999.47		3,147.94
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद राशि	0.54	0.54	
				रिजर्व बैंक के साथ जमा	(-)1,644.93	(-)463.47	
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित	2.95	3.46	
				विभागीय नकद शेष			
				नकद शेष निवेश	2,332.87	1,564.72	
				चिह्नित निवेश	3,308.04	2,042.69	
योग भाग-ख	97,911.47		1,12,872.01	योग	97,911.47		1,12,872.01

<sup>1</sup> वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।

**परिशिष्ट 2.2**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 19)  
राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>भाग-क प्राप्तियां</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>52,497</b>	<b>62,695</b>	<b>65,885</b>	<b>67,858</b>	<b>67,561</b>
(i) कर राजस्व	34,026 (65)	41,099(66)	42,581 (65)	42,825 (63)	41,914 (62)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	23,488 (69)	15,609(38)	8,998 (21)	8,398 (19)	8,660 (21)
राज्य उत्पाद शुल्क	4,613 (13)	4,966(12)	6,042 (14)	6,323 (15)	6,864 (16)
वाहनों पर कर	1,583 (5)	2,778(7)	2,908 (7)	2,916 (7)	2,495 (6)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,283 (10)	4,193(10)	5,636 (13)	6,013 (14)	5,157 (12)
भू-राजस्व	16	18	19	20	17
माल एवं यात्रियों पर कर	595 (2)	2,317 (6)	21	16	4
बिजली पर कर एवं शुल्क	276 (1)	306 (1)	337 (1)	262 (1)	476 (1)
राज्य माल एवं सेवा कर	शून्य	10,833 (26)	18,613 (44)	18,873 (44)	18,236 (44)
अन्य कर	172	79	7	4	5
(ii) कर-भिन्न राजस्व	6,196 (12)	9,113 (14)	7,976 (12)	7,400 (11)	6,961 (10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	6,597 (12)	7,298 (12)	8,255 (12)	7,111 (10)	6,438 (10)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	5,678 (11)	5,185 (8)	7,073 (11)	10,522 (16)	12,248 (18)
<b>2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>63</b>
<b>3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां</b>	<b>973</b>	<b>6,341</b>	<b>5,372</b>	<b>5,393</b>	<b>432</b>
<b>4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)</b>	<b>53,496</b>	<b>69,076</b>	<b>71,306</b>	<b>73,305</b>	<b>68,056</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>28,170</b>	<b>21,490</b>	<b>34,265</b>	<b>44,432</b>	<b>53,817</b>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	28,047 (100)	21,270 (99)	33,635 (98)	43,068 (97)	44,363 (83)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	शून्य	79	505 (2)	1,262 (3)	4,977 (9)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	123	141 (1)	125	102	4,477* (8)
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)</b>	<b>81,666</b>	<b>90,566</b>	<b>1,05,571</b>	<b>1,17,737</b>	<b>1,21,873</b>
<b>7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां</b>	<b>80</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>शून्य</b>	<b>800</b>
<b>8. लोक लेखे प्राप्तियां</b>	<b>32,108</b>	<b>33,894</b>	<b>40,785</b>	<b>45,047</b>	<b>53,761</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)</b>	<b>1,13,854</b>	<b>1,24,487</b>	<b>1,46,368</b>	<b>1,62,784</b>	<b>1,76,434</b>
<b>भाग- ख व्यय/संवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>68,403</b>	<b>73,257</b>	<b>77,155</b>	<b>84,848</b>	<b>89,946</b>
योजनागत	22,119 (32)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजनेत्तर	46,284 (68)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	21,631 (32)	26,699(36)	28,169 (36)	31,884 (38)	34,734 (39)
आर्थिक सेवाएं	20,875 (30)	18,107(25)	19,021 (25)	19,238 (22)	19,048 (21)
सामाजिक सेवाएं	25,473 (37)	28,061(38)	29,743(38)	33,726 (40)	36,164 (40)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	424(1)	390(1)	222(1)	शून्य	शून्य
<b>11. पूंजीगत व्यय</b>	<b>6,863</b>	<b>13,538</b>	<b>15,307</b>	<b>17,666</b>	<b>5,870</b>
योजनागत	6,559 (96)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजनेत्तर	304 (4)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सामान्य सेवाएं	399 (6)	481(4)	715 (5)	586 (3)	388 (7)
आर्थिक सेवाएं	4,877 (71)	9,884(73)	10,787 (70)	13,846 (79)	2,496 (42)
सामाजिक सेवाएं	1,587 (23)	3,173(23)	3,805 (25)	3,234 (18)	2,986 (51)
<b>12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण</b>	<b>4,515</b>	<b>1,395</b>	<b>756</b>	<b>1,309</b>	<b>926</b>
<b>13. कुल (10+11+12)</b>	<b>79,781</b>	<b>88,190</b>	<b>93,218</b>	<b>1,03,823</b>	<b>96,742</b>
<b>14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान</b>	<b>5,276</b>	<b>6,339</b>	<b>17,184</b>	<b>15,776</b>	<b>29,498</b>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	5,090 (96)	6,074(96)	16,480 (96)	14,250 (90)	24,191 (82)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	79(1)	505 (3)	1,262 (8)	4,977 (17)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	186 (4)	186(3)	199 (1)	264 (2)	330 (1)
<b>15. आकस्मिक निधि के विनियोजन</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>शून्य</b>	<b>800</b>
<b>16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)</b>	<b>85,057</b>	<b>94,529</b>	<b>1,10,402</b>	<b>1,19,599</b>	<b>1,27,040</b>
<b>17. आकस्मिक निधि संवितरण</b>	<b>80</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>
<b>18. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>29,276</b>	<b>31,171</b>	<b>37,386</b>	<b>42,171</b>	<b>50,245</b>

\* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	1,14,413	1,25,727	1,47,800	1,61,770	1,77,285
<b>भाग ग-घाटा/आधिक्य</b>					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(-)15,906	(-)10,562	(-)11,270	(-)16,990	(-)22,385
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-)26,285	(-)19,114	(-)21,912	(-)30,518	(-)29,486
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-)15,743	(-)7,153	(-)8,361	(-)14,930	(-)12,371
<b>भाग-घ अन्य डाटा</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	10,542	11,961	13,551	15,588	17,115
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	12,647	9,844	10,078	11,337	13,012
25. अर्थापय अग्रिम/प्राप्त ओवरड्राफ्ट(दिनों में)	शून्य	79(2)	505(4)	1,262 (11)	4,977(42)
26. अर्थापय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	शून्य	0.02	0.29	0.42	1.31
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) <sup>2</sup>	5,61,424	6,44,963	7,04,957	7,80,612	7,64,872
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	1,46,371	1,64,076	1,84,216	2,15,562	2,38,708 <sup>3</sup>
29. बकाया गारंटियां-ब्याज तथा गारंटी फीस सहित (वर्ष के अन्त में)	8,260	14,187	18,273	20,770	23,102
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	14	25	23	26	48
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	199.17	167.14	127.30	221.57	546.30
<b>भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
<b>I संसाधन संघटन</b>					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.061	0.064	0.060	0.055	0.055
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.011	0.014	0.011	0.009	0.009
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.012	0.011	0.012	0.009	0.008
<b>II व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.142	0.137	0.132	0.133	0.128
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.520	1.407	1.415	1.530	1.444
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.857	0.831	0.828	0.817	0.922
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.339	0.354	0.360	0.356	0.401
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.323	0.317	0.320	0.319	0.221
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.086	0.154	0.164	0.170	0.060
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.081	0.148	0.157	0.165	0.056
<b>III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.028	(-)0.016	(-)0.016	(-)0.022	(-)0.029
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)0.047	(-)0.030	(-)0.031	(-)0.039	(-)0.039
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.028	(-)0.011	(-)0.011	(-)0.019	(-)0.016
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.605	0.553	0.514	0.557	0.759
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.26	0.25	0.26	0.28	0.31
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	2.788	2.617	2.796	3.177	3.533
<b>V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
निवेश पर रिटर्न	5.89	7.53	56.60	87.01	163.14
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.62	0.60	0.58	0.56	0.52

<sup>2</sup> आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

<sup>3</sup> वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

## परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2.2 (iv); पृष्ठ 23)

राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2021 तक राजस्व के बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	31 मार्च 2021 को बकाया राशि	विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वस्ली की स्थिति											
				कोर्ट द्वारा स्टे	सरकार द्वारा स्टे	दिवालिया डीलर	बड़े खाते में डाला जाना	संशोधन/समीक्षा/अपील	न्यायालय में मामले	अन्य कारण	आधिकारिक परिसमापक/बी.आई.एफ.आर <sup>4</sup>	अंतर्जातीय बकाया	अंतर जिला बकाया	किस्तों में	करवाई के विभिन्न चरणों में
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	4,907.54	32,716.78	1,924.36	1,227.36	96.90	130.44	3,488.17	2,928.87	3,094.25	1,655.15	1,802.87	84.99	0.16	16,283.24
2	राज्य उत्पाद शुल्क	190.42	436.39	9.49	1.43	--	0.89	--	33.84	39.81	--	42.15	--	--	217.58
3	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	197.17	206.44	152.86	--	--	--	--	0.11	--	--	--	--	--	53.47
4	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.77	11.77	3.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.59
5	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	315.99	1,301.27	0.55	--	--	0.39	--	12.88	486.80	--	14.03	221.85	0.02	564.75
6	बिजली पर कर और शुल्क	184.75	364.60	र 363.60 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं से लंबित थे और ₹ 1.00 करोड़ मैसर्स हरियाणा कंकास्ट, हिसार के विरुद्ध लंबित थे।											
7	पुलिस	40.91	128.86	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वस्ली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित था। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, फरीदाबाद से ₹ 0.29 करोड़ वसूलनीय थे और अन्य राज्यों में चुनाव इयूटी एवं कानून व्यवस्था के लिए अन्य राज्यों से ₹ 121.19 करोड़ वसूलनीय थे।											
<b>कुल</b>		<b>5,848.55</b>	<b>35,166.11</b>												

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

4 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (ii); पृष्ठ 39)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार सरकारी निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वित्त लेखे के अनुसार	कंपनी लेखा के अनुसार	अंतर
1	हरियाणा वित्तीय निगम	204.22	202.01	(-)2.21
2	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	9,584.68	13,459.51	3,874.83
3	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,437.95	3,037.76	(-)400.19
4	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	49.46	48.20	(-)1.26
5	हरियाणा डेयरी विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	4.77	5.57	0.80
6	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	33.84	26.14	(-)7.70
7	हरियाणा पुलिस आवास निगम	69.82	25.00	(-)44.82
8	हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, गुरुग्राम	8.36	6.80	(-)1.56
9	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.74	2.76	0.02
10	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	9.90	9.89	(-)0.01
11	हरियाणा राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.62	2.65	0.03
12	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	76.10	72.36	(-)3.74
13	हरियाणा राज्य सड़कें और पुल विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	70.12	122.04	51.92
14	हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	1.40	1.81	0.41
15	हरियाणा टेनरीज लिमिटेड, जींद	0.22	1.17	0.95
16	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	शून्य	37.76	37.76
17	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,638.97	4,303.05	664.08
18	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	14.86	15.51	0.65
19	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकुला	11,128.04	15,227.63	4,099.59
20	हरियाणा मास रैपिड यातायात निगम	शून्य	14.40	14.40
21	हरियाणा मेडिकल सर्विसिज लिमिटेड	शून्य	5.00	5.00
22	हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड	10.00	89.22	79.22
23	हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम लिमिटेड	0.06	0.10	0.04
	<b>कुल</b>	<b>28,348.13</b>	<b>36,716.34</b>	<b>8,368.21</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

## परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (iii); पृष्ठ 39)

## कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना कानाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
1	सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुड़गांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर.टी.सी.एल. (रैपिड मेट्रो गुड़गांव साउथ लिमिटेड)	1,088.00	बी.ओ.टी.	16 जुलाई 2009	14 नवंबर 2013 राज्य को राजस्व उत्पन्न करना- शून्य। परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव को एच.एम.आर.टी.सी. द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और 23.10.2019 को लाइसेंसधारक के रूप में डी.एम.आर.सी. को सौंप दिया गया है। मेट्रो परियोजनाओं के संचालन से किराया वसूली डी.एम.आर.सी. के नाम से खोले गए एक अलग खाते में की जाती है।
2	कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी. (मैसर्ज एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड)	1,863.00	बी.ओ.टी.	31 जुलाई 2015 (प्रारंभ करने की तिथि 24 अगस्त 2016)	04 दिसंबर 2018 (राजस्व वित्तीय वर्ष: ₹ 162.73 करोड़)
3	दिल्ली मेट्रो सिकंदरपुर से सेक्टर 56, गुड़गांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर.टी.सी.एल.	2,143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	1 अक्टूबर 2012	मार्च 2017 राज्य को राजस्व सृजन- शून्य। परियोजनाओं के संचालन और रख-रखाव को एच.एम.आर.टी.सी. द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और 23.10.2019 को लाइसेंसधारक के रूप में डी.एम.आर.सी. को सौंप दिया गया है। मेट्रो परियोजनाओं के संचालन से किराया वसूली डी.एम.आर.सी. के नाम से खोले गए एक अलग खाते में की जाती है।
4	हरियाणा विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड की जे.के.टी.पी.एल.	कल्पतरु पावर ट्रांस लिमिटेड और टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीरनियरिंग के संयुक्त उद्यम	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर)	14 मई 2010	12 मार्च 2012
5	बस स्टैंड, एन.आई.टी. फरीदाबाद	डी.जी.एस.टी. (मैसर्ज पैसिफिक रिटेल काउंटर्स)	110.94	डी.बी.एफ.ओ.टी.	14 जून 2018	निचले भूतल तक का निर्माण कार्य पूर्ण (मई 2021) किया गया तथा भूतल से द्वितीय तल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	परियोजना कानाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
6	हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका भिवानी रोड (0.00 से 14.28 किलोमीटर) पर पक्के फुटपाथ के साथ 2 लेनिंग का विकास	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	94.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016		पूरा हुआ
7	गुड़गांव, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोहना रोड का रख-रखाव (लंबाई 66.185 किलोमीटर)	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	180.00	बी.ओ.टी.		परियोजना परिचालन चरण में है।
8	1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	130.00	-	2007-2012	उक्त परियोजना 2007 में शुरू की गई है और जी.आई.टी.आई. को 2007-2012 से 5 चयन चक्रों में चुना गया है। जारी ऋण राशि 10 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद 20 वर्षों में वापस की जानी है। तदनुसार, परियोजना को 2042 तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च 2021 तक ₹ 14.33 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है
9	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से जुलाई 2014 से परियोजना शुरू हुई	17 जिलों में 18 केंद्रों पर सीटी स्कैन सेवाएं और पांच जिलों में एम.आर.आई. सुविधाएं कार्यात्मक हैं।
10	हेमोडायलिसिस	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	14 जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से दिसंबर 2015 में परियोजना शुरू हुई	18 जिलों में 18 केंद्रों पर सेवाएं कार्यात्मक हैं और तीन जिलों (कुरुक्षेत्र, मेवात, अंबाला शहर) में प्रगति पर हैं।
11	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	चार जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से मार्च 2016 से परियोजना शुरू हुई	चार जिला अस्पतालों में सेवाएं कार्यात्मक हैं।

क्र. सं.	परियोजना कानाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
12	गुडगांव मनोरंजन पार्क का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	संयुक्त उद्यम कंपनी-मैसर्स गुडगांव रिक्रिएशन पार्क लिमिटेड (जी.आर.पी.एल.) ने एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड से लिए गए अपने ऋण के भुगतान में चूक की थी। एच.डी.एफ.सी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जी.आर.पी.एल. की संपत्ति की नीलामी की अनुमति मांगने के लिए एक मामला दायर किया है। उच्च न्यायालय में सुनवाई अभी अक्टूबर 2021 तक होनी है।
13	हरियाणा राज्य में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकास के लिए 13 परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय	1,701.30	बी.ओ.ओ.टी.	-	13 परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं को आवंटित किया गया था। दो परियोजनाओं के लिए बोली मूल्यांकन किया जा चुका है और परियोजना को जल्द ही प्रदान किया जाएगा। दो परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में थीं और शेष परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
कुल			7,922.24			

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 68)

मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए  
(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधानों में से बचत
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	1-विधानसभा	87.89	1.35	67.81	21.43
2	2-राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद	161.49	6.00	113.10	54.39
3	3-सामान्य प्रशासन	425.85	69.62	361.88	133.59
4	7-आयोजना और सांख्यिकी	42.73	3.00	35.71	10.02
5	10-तकनीकी शिक्षा	684.04	55.05	562.31	176.78
6	13-स्वास्थ्य	5,567.50	742.35	5,080.95	1,228.90
7	15-स्थानीय शासन	4,978.01	2,336.13	3,548.31	3,765.83
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	713.86	100.00	463.18	350.68
9	21-महिला एवं बाल विकास	1,415.34	100.00	1,152.58	362.76
10	23-खाद्य एवं आपूर्ति	651.32	363.22	616.43	398.11
11	27-कृषि	3,612.63	430.22	2,348.08	1,694.77
12	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	1,137.16	19.00	865.07	291.09
13	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	5,973.60	921.70	4,484.00	2,411.30
14	34-परिवहन	2,192.02	0.70	1,703.05	489.67
15	36-गृह	5,356.76	90.00	4,644.54	802.22
16	40-ऊर्जा तथा विद्युत	6,710.29	997.02	5,810.98	1,896.33
17	42-न्याय प्रशासन	987.08	5.75	645.78	347.05
18	43-जेल	291.66	11.27	241.34	61.59
	<b>कुल</b>	<b>40,989.23</b>	<b>6,252.38</b>	<b>32,745.10</b>	<b>14,496.51</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
19	13-स्वास्थ्य	966.00	319.00	768.29	516.71
20	34-परिवहन	410.71	15.30	201.31	224.70
21	35-पर्यटन	34.10	31.06	28.28	36.88
22	38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	1,500.51	482.25	949.22	1,033.54
	<b>कुल</b>	<b>2,911.32</b>	<b>847.61</b>	<b>1,947.10</b>	<b>1,811.83</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>43,900.55</b>	<b>7,099.99</b>	<b>34,692.20</b>	<b>16,308.34</b>

मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए  
(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधानों में से बचत
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	4-राजस्व	1,539.56	154.19	1,556.12	137.63
2	5-आबकारी एवं कराधान	256.06	43.00	266.07	32.99
3	6-वित्त	9,994.15	394.49	10,178.12	210.52
4	17-रोज़गार	415.03	245.83	417.83	243.03
5	37-निर्वाचन	45.87	43.04	59.15	29.76
6	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	2,112.76	365.18	2,230.01	247.93
	<b>कुल</b>	<b>14,363.43</b>	<b>1,245.73</b>	<b>14,707.30</b>	<b>901.86</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
7	17-रोज़गार	1.00	5.34	4.71	1.63
	<b>कुल</b>	<b>1.00</b>	<b>5.34</b>	<b>4.71</b>	<b>1.63</b>
<b>पूँजीगत (भारित)</b>					
8	सार्वजनिक ऋण	22,591.81	11,072.60	29,497.60	4,166.81
	<b>कुल</b>	<b>22,591.81</b>	<b>11,072.60</b>	<b>29,497.60</b>	<b>4,166.81</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>36,956.24</b>	<b>12,323.67</b>	<b>44,209.61</b>	<b>5,070.30</b>

## परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 68)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन का विवरण  
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
1.	4	राजस्व	2245-प्राकृतिक नियति के कारण राहत 05-राज्य आपदा राहत निधि 101-राज्य आपदा राहत निधि 99-राज्य एवं केंद्र अंशदान	(ओ) 655.00 (एस) 102.62 (आर) (-)331.02 426.60	654.67	228.07
2.			4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन	(ओ) 180.00 (आर) (-)94.28 85.72	88.13	2.41
3.			4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 99-जिला प्रशासन	(ओ) 35.00 (आर) 14.98 49.98	45.30	(-)4.68
4.	5	आबकारी एवं कराधान	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 001-निर्देशन एवं प्रशासन 98-जिला स्टाफ	(ओ) 69.70 (एस) 5.05 (आर) (-)3.75 71.00	75.52	4.52
5.			2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 001-निर्देशन एवं प्रशासन 99-मुख्यालय स्टाफ 98-स्थापना व्यय	(ओ) 35.48 (एस) 36.40 (आर) (-)10.40 61.48	57.00	(-)4.48
6.			4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 97-आबकारी एवं कराधान	(ओ) 20.00 (आर) (-)13.71 6.29	4.63	(-)1.66
7.	6	वित्त	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 101-बाजार ऋण पर ब्याज 99-ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 11,978.06 (आर) (-)35.95 11,942.11	11,545.40	(-)396.71
8.			2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 97-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	(ओ) 56.60 (आर) (-)44.99 11.61	141.03	129.42
9.			2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 305-ऋणों का प्रबंधन 99-नया ऋण आदि जारी करने पर व्यय	(ओ) 35.00 (आर) (-)35.00 शून्य	39.29	39.29
10.			2049-ब्याज भुगतान 03-अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज 104-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज 98-ए.आई.एस. (सी.एच.) पर ब्याज	(ओ) 3.77 (आर) (-)3.77 शून्य	3.19	3.19
11.			2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज 101-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज 99-ब्लॉक ऋण	(ओ) 73.46 (आर) (-)73.46 शून्य	43.57	43.57
12.			2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज 104-गैर-योजनागत योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज 95-पुलिस-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(ओ) 1.29 (आर) (-)1.29 शून्य	1.31	1.31

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
13.			2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज 109-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार समेकित राज्य योजना ऋणों पर ब्याज 99-12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य योजना ऋण समेकित	(ओ) 29.00 (आर) (-)29.00 शून्य	29.00	29.00
14.			2049-ब्याज भुगतान 05-आरक्षित निधियों पर ब्याज 101-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि में ब्याज 97-मूल्यहास आरक्षित निधि (सरकारी प्रेस)	(ओ) 1.81 (आर) (-) 1.81 शून्य	1.81	1.81
15.			2049-ब्याज भुगतान 05-आरक्षित निधियों पर ब्याज 101-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि में ब्याज 98-मूल्यहास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन)	(ओ) 54.00 (आर) (-) 54.00 शून्य	54.00	54.00
16.			2049-ब्याज भुगतान 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज 101-जमाओं पर ब्याज 98-रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित भूमि के प्रति जमा पर ब्याज	(ओ) 15.00 (आर) (-)15.00 शून्य	14.97	14.97
17.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 101-अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते 51-एन.ए.	(ओ) 5,100.00 (एस) 390.85 (आर) 548.95 6,039.80	5619.57	(-)420.23
18.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 102-पेंशन का परिवर्तित मूल्य 51-एन.ए.	(ओ) 1,250.00 (आर) (-)204.40 1,045.60	1056.36	10.76
19.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 104-ग्रेज्यूटी 51-एन.ए.	(ओ) 1,078.00 (आर) (-)40.09 1,037.91	1219.91	182.00
20.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 105-पारिवारिक पेंशन 51-एन.ए.	(ओ) 700.00 (आर) 227.94 927.94	943.89	15.95
21.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 106-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन प्रभार 51-एन.ए.	(ओ) 103.00 (आर) (-)96.32 6.68	23.13	16.45
22.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 111-विधायकों को पेंशन 99-राज्य विधानमंडल के सदस्य	(ओ) 184.50 (आर) (-)155.88 28.62	83.02	54.40
23.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 117-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान 99-हरियाणा विधानमंडल की परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना 99-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	(ओ) 584.50 (आर) 178.82 763.32	766.83	3.51
24.	8	भवन एवं सड़कें	2059-लोक निर्माण कार्य 60-अन्य भवन 053-रख-रखाव एवं मरम्मत 99-रख-रखाव एवं मरम्मत	(ओ) 14.00 (आर) (-)0.89 13.10	8.54	(-)4.56
25.			2059-लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 96-कार्यान्वयन	(ओ) 419.26 (आर) (-)86.61 332.65	349.09	16.44

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
26.			2059-लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 052-मशीनरी और उपकरण 96-मशीनरी	(ओ) 6.25 (आर) (-)2.12 4.13	7.11	2.98
27.			2059-लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 053-रख-रखाव एवं मरम्मत 99-रख-रखाव एवं मरम्मत	(ओ) 89.00 (आर) 15.54 104.54	107.63	3.09
28.			2216-आवास 05-सामान्य पूल आवास 053-रख-रखाव एवं मरम्मत 99-अन्य रख-रखाव व्यय 88-सामान्य रख-रखाव और मरम्मत	(ओ) 25.01 (आर) 9.68 34.69	38.30	3.61
29.			2216-आवास 05-सामान्य पूल आवास 053-रख-रखाव एवं मरम्मत 99-अन्य रख-रखाव व्यय 99-न्याय प्रशासन	(ओ) 2.00 (आर) 0.76 2.76	1.25	(-)1.51
30.			3054-सड़कें और पुल 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 51-एन.ए.	(ओ) 55.00 (आर) (-) 15.58 39.42	27.77	(-)11.65
31.			3054-सड़कें और पुल 04-जिला और अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 99-जिला सड़कें कार्य	(ओ) 35.00 (आर) (-) 22.42 12.58	16.70	4.12
32.			4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 99-लोक निर्माण कार्य	(ओ) 60.00 (आर) (-) 37.27 22.73	35.62	12.89
33.			4202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान 99-भवन (इंजीनियरिंग कॉलेज)	(ओ) 5.00 (आर) (-) 1.24 3.76	5.93	2.17
34.			4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 96-लोक निर्माण कार्य	(ओ) 15.00 (आर) (-) 0.36 14.64	15.82	1.18
35.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03 -राज्य राजमार्ग 101-पुल 81-हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण 99-राज्य योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ऊपरी पुलों का निर्माण	(ओ) 10.00 (आर) 11.71 21.71	36.26	14.55
36.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03 - राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 87-सी.आर.एफ. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ाई और उन्नयन	(ओ) 150.00 (आर) 46.74 196.74	189.05	(-)7.69
37.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 88-हरियाणा राज्य में सड़क का निर्माण 99-राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ाई एवं सुधार योजना	(ओ) 150.00 (आर) (-) 35.08 114.92	128.04	13.12

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
38.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सड़कें 101-पुल्लों 84-हरियाणा राज्य में पुल्लों और रेलवे ऊपरी पुल्लों का निर्माण 97-नाबार्ड योजना के अंतर्गत पुल्लों और रेलवे ऊपरी पुल्लों का निर्माण	(ओ) 15.00 (आर) 13.25 28.25	29.44	1.19
39.			5054-सड़कों और पुल्लों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सड़कें 101-पुल्लों 84-हरियाणा राज्य में पुल्लों और रेलवे ऊपरी पुल्लों का निर्माण 99-राज्य योजना के अंतर्गत पुल्लों और रेलवे ऊपरी पुल्लों का निर्माण	(ओ) 125.00 (आर) 34.75 159.75	157.42	(-)2.33
40.			5054-सड़कों और पुल्लों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें 97-नाबार्ड योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ाई और बार्डपास	(ओ) 170.00 (आर) (-) 41.78 128.22	116.66	(-) 11.56
41.			5054-सड़कों और पुल्लों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सभी सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें 98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ाई और बार्डपास बनाना	(ओ) 75.00 (आर) (-) 45.65 29.35	32.49	3.14
42.			5054-सड़कों और पुल्लों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सभी सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें 99-राज्य योजना के अंतर्गत निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ाई	(ओ) 800.00 (आर) (-) 302.87 497.13	510.04	12.91
43.			5054-सड़कों और पुल्लों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सभी सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 99-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ाई 99-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ाई और बार्डपास	(ओ) 70.00 (आर) (-) 39.00 31.00	33.70	2.70
44.			5054-सड़कों और पुल्लों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सभी सड़कें 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ाई एवं सुदृढीकरण/विशेष मरम्मत 98-नाबार्ड का योगदान	(ओ) 55.00 (आर) (-) 17.36 37.64	31.88	(-)5.76
45.			5054-सड़कों और पुल्लों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ाई एवं सुदृढीकरण/विशेष मरम्मत 99-राज्य योगदान	(ओ) 65.00 (आर) (-) 38.59 26.41	32.76	6.35
46.			5054-सड़कों और पुल्लों पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य का हिस्सा प्रदान करना	(ओ) 250.00 (आर) (-) 208.11 41.89	75.44	33.55
47.	9	शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-सरकारी माध्यमिक विद्यालय 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	(ओ) 312.40 (आर) 184.29 496.69	498.69	2.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
48.	9	शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 001-निदेशन और प्रशासन 99-प्रशासनिक स्टाफ 99-मुख्यालय स्टाफ स्थापना (मुख्यालय)	(ओ) 43.61 (आर) (-)12.85 30.76	28.85	(-)1.91
49.			4202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा 202-माध्यमिक शिक्षा 99-माध्यमिक विद्यालय भवन	(ओ) 130.00 (आर) (-)9.13 120.87	124.59	3.72
50.			4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 99-कॉलेज भवन	(ओ) 155.00 (आर) (-)0.78 154.22	159.19	4.97
51.	11	खेल एवं युवा कल्याण	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 03-खेल और युवा सेवाएं 101-युवा हॉस्टल 99-भवन (युवा हॉस्टल)	(ओ) 10.00 (आर) (-)7.93 2.07	0.14	(-)1.93
52.	13	स्वास्थ्य	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी 110-अस्पताल और औषधालय 99-ग्रामीण अस्पताल और औषधालय का नाम बदलकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा जारी रखना	(ओ) 858.95 (आर) (-)129.64 729.31	730.53	1.22
53.			2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 80-सामान्य 199-अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता 99-आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	(ओ) 276.75 (आर) (-)227.75 50.00	22.22	(-)27.78
54.			2211-परिवार कल्याण 101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 98-उप-केन्द्रों	(ओ) 195.00 (आर) (-)45.49 149.51	148.48	(-)1.03
55.			4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110-अस्पताल और औषधालय 99-भवन	(ओ) 300.00 (आर) (-) 29.39 270.61	278.85	8.24
56.	13	स्वास्थ्य	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान 101-आयुर्वेद 91-सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज/अस्पताल के भवन का निर्माण	(ओ) 20.00 (आर) (-)4.03 15.97	17.37	1.40
57.			4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान 105-एलोपैथी 92-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल का निर्माण कार्य 99-भवन का निर्माण	(ओ) 50.00 (एस) 100.00 (आर) 46.05 196.05	153.11	(-)42.94
58.	16	श्रम	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 201-श्रम 96-लेबर कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण	(ओ) 0.10 (आर) 1.70 1.80	5.01	3.21
59.	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 201-श्रम 94-औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	(ओ) 70.00 (आर) (-)70.00 शून्य	52.79	52.79
60.			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 98-अनुसूचित जाति विंग के लिए प्रशिक्षण भवन	(ओ) 10.00 (आर) (-)10.00 शून्य	7.27	7.27

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
61.	19	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 102-आर्थिक विकास 96-अत्याचार पीड़ितों को आर्थिक राहत	(ओ) 18.00 (आर) (-)1.87 16.13	13.94	(-)2.19
62.	21	महिला एवं बाल विकास	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-सामाजिक कल्याण 102-बाल कल्याण 92-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यू.सी.डी.)	(ओ) 728.45 (आर) 23.30 751.75	636.55	(-)115.20
63.			2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-सामाजिक कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 90-अनुसूचित जाति: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को वित्तीय सहायता	(ओ) 95.00 (आर) (-)53.71 41.29	38.45	(-)2.84
64.			2236-पोषण 02-पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण 101-विशेष पोषण कार्यक्रम 88-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)	(ओ) 50.00 (आर) (-)33.11 16.89	22.51	5.62
65.			2236-पोषण 02-पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण 101-विशेष पोषण कार्यक्रम 95-पूरक पोषण कार्यक्रम	(ओ) 100.00 (एस) 100.00 (आर) (-)26.51 173.49	167.99	(-)5.50
66.	21	महिला एवं बाल विकास	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-सामाजिक कल्याण 102-बाल कल्याण 97-जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन कार्य 99-रिमांड/ऑब्जर्वेशन होम	(ओ) 50.00 (आर) (-)12.24 37.76	42.55	4.79
67.			4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय 02-सामाजिक कल्याण 103-महिला कल्याण 99-युवा लड़कियों/महिलाओं और परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र	(ओ) 2.00 (आर) 3.64 5.64	0.63	(-)5.01
68.	23	खादय और आपूर्ति	2408-खादय भंडार और भंडारण 01-खादय 001-निदेशन एवं प्रशासन 98-फील्ड स्टाफ	(ओ) 278.99 (एस) 190.00 (आर) 9.15 478.14	275.08	(-)203.06
69.	23	खादय और आपूर्ति	4408-खादय भंडारण और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय 01-खादय 101-खरीद और आपूर्ति 97-पूँजी पर ब्याज	(ओ) 900.00 (आर) (-)900.00 शून्य	505.44	505.44
70.			4408-खादय भंडारण और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय 01-खादय 101-खरीद और आपूर्ति 98-स्थापना लागत प्रभार्य	(ओ) 292.55 (आर) (-)292.55 शून्य	288.22	288.22
71.			4408-खादय भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय 01-खादय 101-खरीद और आपूर्ति 99-अनाज आपूर्ति योजना	(ओ) 14,730.00 (आर) (-)2,687.19 12,042.81	12,333.59	290.78
72.	24	सिंचाई	2700-प्रमुख सिंचाई 01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन और प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 28.09 (आर) (-)3.46 24.63	0.83	(-)23.80

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
73.			2700-प्रमुख सिंचाई 01-बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन और प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 114.85 (आर) (-)14.55 100.30	4.92	(-)95.38
74.			2700-प्रमुख सिंचाई 01-बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ) 4.00 (आर) (-)0.95 3.05	0.22	(-)2.83
75.			2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 45.00 (आर) (-)3.37 41.63	2.46	(-)39.17
76.			2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 427.95 (आर) (-)26.61 401.34	22.84	(-)378.50
77.			2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ) 25.90 (आर) (-)4.65 21.25	1.12	(-)20.13
78.	24		2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 101-रख-रखाव एवं मरम्मत 97-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 50.00 (आर) 17.22 67.22	68.30	1.08
79.			2700-प्रमुख सिंचाई 04-लोहारू नहर परियोजना 101-रख-रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख-रखाव कार्य	(ओ) 2.50 (आर) (-)0.05 2.45	3.79	1.34
80.			2700-प्रमुख सिंचाई 05-जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 150.00 (आर) 12.55 162.55	161.34	(-)1.21
81.			2700-प्रमुख सिंचाई 18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 79.25 (आर) (-)27.92 51.33	12.10	(-)39.23
82.	24	सिंचाई	2700-प्रमुख सिंचाई 18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ) 6.50 (आर) (-)2.81 3.69	0.45	(-)3.24
83.			2700-प्रमुख सिंचाई 18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियन्ता	(ओ) 7.76 (आर) (-)3.97 3.79	0.96	(-)2.83
84.			2700-प्रमुख सिंचाई 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियन्ता	(ओ) 63.74 (आर) (-)11.41 52.33	11.48	(-)40.85
85.			2700-प्रमुख सिंचाई 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सुधार, उन्नयन, संचालन और रख-रखाव	(ओ) 75.00 (आर) (-)21.86 53.14	50.03	(-)3.11

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
86.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाइनिंग 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-नहर नेटवर्क का पुनरुद्धार राज्य में अनुसूचित जाति आबादी में खालों की प्रणाली के पुनरुद्धार में सुधार	(ओ) 100.00 (आर) (-)28.52 71.48	73.14	1.66
87.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली की आधुनिकीकरण और लाइनिंग 800-अन्य व्यय 97-पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) और जवाहर लाल नेहरू (जे.एल.एन.) नहर प्रणाली की क्षमता में सुधार	(ओ) 70.00 (आर) 11.60 81.60	83.19	1.59
88.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली की आधुनिकीकरण और लाइनिंग 800-अन्य व्यय 98-नहर का निर्माण-नहर नेटवर्क का पुनरुद्धार	(ओ) 200.00 (आर) (-)53.15 146.84	143.94	(-)2.90
89.			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06-पानी के समान वितरण के लिए नया माइनर 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य के अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में जल वितरण के लिए नए मानइन सुधार हेतु योजना	(ओ) 15.00 (आर) (-)8.93 6.07	4.67	(-)1.40
90.			4701-माध्यिका सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06-पानी के समान वितरण के लिए नया माइनर 800-अन्य व्यय 98-नहर का निर्माण-नए माइनर का निर्माण	(ओ) 15.00 (आर) (-)5.15 9.85	7.57	(-)2.28
91.	24	सिंचाई	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों का सुधार	(ओ) 100.00 (आर) (-)11.93 88.07	72.83	(-)15.24
92.			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 800-अन्य व्यय 98-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार	(ओ) 100.00 (आर) (-)9.80 90.20	102.16	11.96
93.			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-न्यायालय के आदेश के अंतर्गत बड़ी हुई भूमि मुआवजे का भुगतान	(ओ) 150.00 (आर) (-)118.74 31.26	33.20	1.94
94.	27	कृषि	2401-फसल पालन 108-वाणिज्यिक फसलें 94-हरियाणा में गन्ना विकास	(ओ) 10.59 (आर) (-)1.06 9.53	10.55	1.02
95.	30	वन एवं वन्य जीवन	2406-वानिकी और वन्य जीवन 01-वानिकी 070-संचार और भवन 97-भवन	(ओ) 3.20 (आर) (-)1.84 1.36	2.85	1.49
96.			2406-वानिकी और वन्य जीवन 01-वानिकी 101-वन संरक्षण, विकास और संपोषण 98-अवक्रमित वनों का पुनर्वास	(ओ) 6.49 (आर) (-)3.47 3.02	4.57	1.55
97.			2406-वानिकी और वन्य जीवन 01-वानिकी 102-सामाजिक और कृषि वानिकी 78-कृषि वानिकी क्लोनल और गैर क्लोनल का विकास	(ओ) 58.00 (आर) (-)36.92 21.08	60.70	39.62

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूर्क आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
98.	33	सहकारिता	2425-सहकारिता 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता 95-दुग्ध सहकारी समितियां 99-प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां	(ओ) 2.00 (आर) (-)2.00 शून्य	1.40	1.40
99.	34	परिवहन	3055-सड़क परिवहन 201-हरियाणा रोडवेज 96-एफ-अन्य व्यय	(ओ) 82.77 (आर) (-)82.77 शून्य	82.75	82.75
100			3055-सड़क परिवहन 201-हरियाणा रोडवेज 98-बी-संचालन	(ओ) 1,542.52 (आर) (-)347.12 1,195.40	1,200.99	5.59
101			5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य वैमानिकी सेवाएं 102-नेविगेशन और हवाई मार्ग सेवाएं 99-हवाई अड्डा का रख-रखाव	(ओ) 50.00 (आर) (-)16.75 33.25	1.21	(-)32.04
102	36	गृह	2055-पुलिस 109-जिला पुलिस 99-जिला पुलिस बल	(ओ) 3,888.81 (आर) (-)397.38 3,491.43	3,492.49	1.06
103	38	जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता 01-जल आपूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जल सेवाएं और सीवरेज का रख-रखाव 97-नहरी जल प्रभार	(ओ) 1.00 (आर) 14.08 15.08	18.75	3.67
104			2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता 01-जल आपूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जल सेवाएं और सीवरेज का रख-रखाव 98-रख-रखाव शुल्क	(ओ) 140.00 (आर) 29.29 169.29	174.67	5.38
105			2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता 01-जल आपूर्ति 101-शहरी जल सेवाएं कार्यक्रम 99-शहरी डब्ल्यू/एस और सीवरेज का रख-रखाव 99-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 280.00 (आर) 51.81 331.81	340.18	8.37
106			2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता 01-जल आपूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 97-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 761.10 (आर) 244.97 1,006.07	1,022.41	16.34
107			4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जल आपूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति 98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति 99-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अधिकृत (केंद्रीय)	(ओ) 241.80 (एस) 475.14 (आर) (-)482.85 234.09	232.64	(-)1.45
108			4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02-सीवरेज और स्वच्छता 102-ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं 98-ग्रामीण स्वच्छता 97-गांव में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए महाग्राम योजना	(ओ) 12.00 (आर) 14.20 26.20	24.60	(-)1.60
109			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 201-जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजना 98-शहरी बरसाती पानी निकासी नाले का कार्य	(ओ) 15.00 (आर) (-)8.32 6.68	5.11	(-)1.57
110	42	न्याय प्रशासन	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 98-न्याय प्रशासन	(ओ) 100.00 (आर) (-)100.00 शून्य	21.18	21.18

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
111	42	न्याय प्रशासन	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 99-न्याय प्रशासन	(ओ) 50.00 (आर) (-)50.00 शून्य	9.39	9.39
112	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम	7610-सरकारी कर्मचारी को ऋण आदि 800-अन्य अग्रिम 96-डिफॉल्ट राशि के लिए भुगतान/वसूली	(ओ) 7.00 (आर) 4.47 11.47	21.13	9.66
113			7610-सरकारी कर्मचारी को ऋण आदि 800-अन्य अग्रिम 98-त्योहार अग्रिम	(ओ) 18.00 (आर) (-)18.00 शून्य	172.67	172.67
114	पी.डी.	सार्वजनिक ऋण	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 107-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण 99-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	(ओ) 14,800.00 (आर) (-)2,980.00 11,820.00	9,808.79	(-)2,011.21
115			6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 108-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण 99-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	(ओ) 548.18 (एस) 7,011.00 (आर) 2,269.12 9,828.30	8,329.81	(-)1,498.49
116			6004-केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीम के लिए ऋण 101-ब्लॉक ऋण 51-एन.ए.	(ओ) 171.14 (आर) 21.76 192.90	231.89	38.99
<b>कुल</b>				<b>70,095.46</b>	<b>67,182.78</b>	<b>(-)5,500.67 (+)2,587.99</b>

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	71	(+)2,587.99
विनियोजन में से बचत (-)	45	(-)5,500.67
<b>कुल</b>	<b>116</b>	

₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 16, 18, 20, 21, 25, 32, 35, 37, 42, 92, 106 तथा 110	12	177.52
₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले		
क्र.सं. 30, 40, 72, 77 तथा 91	5	82.38
<b>कुल</b>	<b>17</b>	

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं.1, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 46, 59, 69, 70, 71, 97, 99, 113 तथा 116	17	2,264.56
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं.7, 17, 53, 57, 62, 68, 73, 75, 76, 81, 84, 101, 114 तथा 115	14	5,340.79
<b>कुल</b>	<b>31</b>	

## परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.4; पृष्ठ 69)

मार्च 2021 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत/ अतिरिक्त	अभ्यर्पित की गई राशि
ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचतों के प्रति राशि कम अभ्यर्पित की गई थी							
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	6-वित्त	9,994.15	394.49	10,388.64	10,178.12	(-)210.52	71.97
2	9-शिक्षा	17,270.83	शून्य	17,270.83	13,313.41	(-)3,957.42	3,956.85
3	13-स्वास्थ्य	5,567.50	742.35	6,309.85	5,080.95	(-)1,228.90	1,227.66
4	21-महिला एवं बाल विकास	1,415.34	100.00	1,515.34	1,152.58	(-)362.76	243.50
5	23-खाद्य एवं आपूर्ति	651.32	363.22	1,014.54	616.43	(-)398.11	195.04
6	26-खान और भू-विज्ञान	139.62	शून्य	139.62	114.71	(-)24.91	24.90
7	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	1,137.16	19.00	1,156.16	865.07	(-)291.09	291.07
8	29-मत्स्य पालन	122.42	शून्य	122.42	66.32	(-)56.10	56.05
<b>कुल</b>		<b>36,298.34</b>	<b>1,619.06</b>	<b>37,917.40</b>	<b>31,387.59</b>	<b>(-)6,529.81</b>	<b>6,067.04</b>
<b>राजस्व भारित</b>							
9	6-वित्त	18,304.58	शून्य	18,304.58	17,114.67	(-)1,189.91	952.16
		<b>18,304.58</b>	<b>शून्य</b>	<b>18,304.58</b>	<b>17,114.67</b>	<b>(-)1,189.91</b>	<b>952.16</b>
<b>पूंजीगत दत्तमत</b>							
10	4-राजस्व	215.00	शून्य	215.00	133.44	(-)81.56	79.30
11	5-आबकारी एवं कराधान	20.00	शून्य	20.00	4.63	(-)15.37	13.71
12	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	130.00	शून्य	130.00	89.97	(-)40.03	38.10
13	11-खेल और युवा कल्याण	515.50	शून्य	515.50	376.01	(-)139.49	139.48
14	13-स्वास्थ्य	966.00	319.00	1,285.00	768.29	(-)516.71	463.24
15	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	1,500.51	482.25	1,982.76	949.22	(-)1,033.54	1,030.69
<b>कुल</b>		<b>3,347.01</b>	<b>801.25</b>	<b>4,148.26</b>	<b>2,321.56</b>	<b>(-)1,826.70</b>	<b>1,764.52</b>
<b>पूंजीगत भारित</b>							
16	8-भवन एवं सड़कें	50.00	शून्य	50.00	38.08	(-)11.92	11.72
17	सार्वजनिक ऋण	22,591.81	11,072.60	33,664.41	29,497.60	(-)4,166.81	683.08
<b>कुल</b>		<b>22,641.81</b>	<b>11,072.60</b>	<b>33,714.41</b>	<b>29,535.68</b>	<b>(-)4,178.73</b>	<b>694.80</b>
		<b>80,591.74</b>	<b>13,492.91</b>	<b>94,084.65</b>	<b>80,359.50</b>	<b>(-)13,725.15</b>	<b>9,478.52</b>
ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचतों के प्रति अधिक राशि अभ्यर्पित की गई थी							
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	161.49	6.00	167.49	113.10	(-)54.39	54.87
2	3-सामान्य प्रशासन	425.85	69.62	495.47	361.88	(-)133.59	133.80
3	4-राजस्व	1,539.56	154.19	1,693.75	1,556.12	(-)137.63	367.76
4	5-आबकारी एवं कराधान	256.06	43.00	299.06	266.07	(-)32.99	33.08
5	8-भवन एवं सड़कें	1,196.85	शून्य	1,196.85	1,089.89	(-)106.96	182.05
6	11-खेल और युवा कल्याण	301.17	शून्य	301.17	121.20	(-)179.97	180.01
7	17-रोज़गार	415.03	245.83	660.86	417.83	(-)243.03	243.06
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	713.86	100.00	813.86	463.18	(-)350.68	351.09
9	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7,847.03	शून्य	7,847.03	7,702.37	(-)144.66	144.89
10	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	164.10	शून्य	164.10	132.40	(-)31.70	31.71
11	24-सिंचाई	2,654.68	शून्य	2,654.68	1,521.67	(-)1,133.01	1,149.39
12	27-कृषि	3,612.63	430.22	4,042.85	2,348.08	(-)1,694.77	1,695.96
13	30-वन एवं वन्य जीवन	548.50	शून्य	548.50	481.73	(-)66.77	110.43
14	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	5,973.60	921.70	6,895.30	4,484.00	(-)2,411.30	2,411.43
15	33-सहकारिता	506.89	शून्य	506.89	340.54	(-)166.35	167.76
16	34-परिवहन	2,192.02	0.70	2,192.72	1,703.05	(-)489.67	578.40
17	36-गृह	5,356.76	90.00	5,446.76	4,644.54	(-)802.22	803.59
18	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	2,112.76	365.18	2,477.94	2,230.01	(-)247.93	282.57
19	39-सूचना एवं प्रचार	206.34	शून्य	206.34	132.81	(-)73.53	73.55

क्र. सं.	अनुदान की संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत/ अतिरिक्त	अभ्यर्पित की गई राशि
20	42-न्याय प्रशासन	987.08	5.75	992.83	645.78	(-)347.05	347.11
21	43-जेल	291.66	11.27	302.93	241.34	(-)61.59	61.66
22	44-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	36.27	शून्य	36.27	23.78	(-)12.49	12.92
<b>कुल</b>		<b>37,500.19</b>	<b>2,443.46</b>	<b>39,943.65</b>	<b>31,021.37</b>	<b>-8,922.28</b>	<b>9,417.09</b>
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>							
23	8-भवन एवं सड़कें	2,477.69	शून्य	2,477.69	1,582.60	(-)895.09	972.71
24	9-शिक्षा	1,600.00	शून्य	1,600.00	283.78	(-)1,316.22	1,324.90
25	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	124.11	शून्य	124.11	65.12	(-)58.99	119.05
26	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	33.92	शून्य	33.92	7.37	(-)26.55	27.64
27	21-महिला एवं बाल विकास	172.02	शून्य	172.02	57.17	(-)114.85	115.31
28	23-खाद्य एवं आपूर्ति	16,002.56	शून्य	16,002.56	13,152.68	(-)2,849.88	3,934.32
29	24-सिंचाई	2,155.87	शून्य	2,155.87	1,327.45	(-)828.42	955.87
30	34-परिवहन	410.71	15.30	426.01	201.31	(-)224.70	224.74
31	42-न्याय प्रशासन	150.00	शून्य	150.00	30.58	(-)119.42	150.00
32	43-जेल	120.00	शून्य	120.00	74.86	(-)45.14	45.34
33	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम	1,212.52	शून्य	1,212.52	925.70	(-)286.82	469.41
<b>कुल</b>		<b>24,459.40</b>	<b>15.30</b>	<b>24,474.70</b>	<b>17,708.62</b>	<b>(-)6,766.08</b>	<b>8,339.29</b>
<b>पूँजीगत भारत</b>							
34	24-सिंचाई	150.00	शून्य	150.00	33.20	(-)116.80	118.74
<b>कुल</b>		<b>150.00</b>	<b>शून्य</b>	<b>150.00</b>	<b>33.20</b>	<b>(-)116.80</b>	<b>118.74</b>
<b>कुल</b>		<b>62,109.59</b>	<b>2,458.76</b>	<b>64,568.35</b>	<b>48,763.19</b>	<b>(-)15,805.16</b>	<b>17,875.12</b>
ऐसे मामले जिनमें राशि को वास्तविक बचत के रूप में अभ्यर्पित किया गया था							
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	1-विधानसभा	87.89	1.35	89.24	67.81	(-)21.43	21.43
2	7-आयोजना और सांख्यिकी	42.73	3.00	45.73	35.71	(-)10.02	10.02
3	10-तकनीकी शिक्षा	684.04	55.05	739.09	562.31	(-)176.78	176.78
4	12-कला और संस्कृति	133.11	शून्य	133.11	22.84	(-)110.27	110.27
5	14-शहरी विकास	122.91	शून्य	122.91	69.84	(-)53.07	53.07
6	15-स्थानीय शासन	4,978.01	2,336.13	7,314.14	3,548.31	(-)3,765.83	3,765.83
7	25-उद्योग	288.64	शून्य	288.64	218.93	(-)69.71	69.71
8	37-चुनाव	45.87	43.04	88.91	59.15	(-)29.76	29.76
9	40-ऊर्जा एवं विद्युत	6,710.29	997.02	7,707.31	5,810.98	(-)1,896.33	1,896.33
10	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	103.46	शून्य	103.46	71.86	(-)31.60	31.60
<b>कुल</b>		<b>13,196.95</b>	<b>3,435.59</b>	<b>16,632.54</b>	<b>10,467.74</b>	<b>(-)6,164.80</b>	<b>6,164.80</b>
<b>राजस्व भारत</b>							
11	3-सामान्य प्रशासन	42.92	शून्य	42.92	24.43	(-)18.49	18.49
12	42-न्याय प्रशासन	176.30	शून्य	176.30	148.92	(-)27.38	27.38
<b>कुल</b>		<b>219.22</b>	<b>219.22</b>	<b>शून्य</b>	<b>219.22</b>	<b>173.35</b>	<b>-45.87</b>
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>							
13	7-आयोजना और सांख्यिकी	309.00	शून्य	309.00	108.52	(-)200.48	200.48
14	14-शहरी विकास	1,450.00	शून्य	1,450.00	564.29	(-)885.71	885.71
15	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	20.00	शून्य	20.00	10.00	(-)10.00	10.00
16	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	327.00	शून्य	327.00	97.06	(-)229.94	229.94
17	33-सहकारिता	172.50	शून्य	172.50	59.80	(-)112.70	112.70
18	35-पर्यटन	34.10	31.06	65.16	28.28	(-)36.88	36.88
19	36-गृह	255.01	शून्य	255.01	160.37	(-)94.64	94.64
20	39-सूचना एवं प्रचार	90.01	शून्य	90.01	80.00	(-)10.01	10.01
21	40-ऊर्जा एवं विद्युत	785.85	शून्य	785.85	550.09	(-)235.76	235.76
<b>कुल</b>		<b>3,443.47</b>	<b>31.06</b>	<b>3,474.53</b>	<b>1,658.41</b>	<b>(-)1,816.12</b>	<b>1,816.12</b>
<b>कुल</b>		<b>16,859.64</b>	<b>3,466.65</b>	<b>20,326.29</b>	<b>12,299.50</b>	<b>(-)8,026.79</b>	<b>8,026.79</b>
72	सकल योग	1,59,560.97	19,418.32	1,78,979.29	1,41,422.19	(-)37,557.10	35,380.43

## परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 70)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>						
1	3-सामान्य प्रशासन	425.85	69.62	495.47	361.88	133.59
2	4-राजस्व	1,539.56	154.19	1,693.75	1,556.12	137.63
3	6-वित्त	9,994.15	394.49	10,388.64	10,178.12	210.52
4	8-भवन एवं सड़कें	1,196.85	शून्य	1,196.85	1,089.89	106.96
5	9-शिक्षा	17,270.83	शून्य	17,270.83	13,313.41	3,957.42
6	10-तकनीकी शिक्षा	684.04	55.05	739.09	562.31	176.78
7	11-खेलकूद एवं युवा कल्याण	301.17	शून्य	301.17	121.20	179.97
8	12-कला और संस्कृति	133.11	शून्य	133.11	22.84	110.27
9	13-स्वास्थ्य	5,567.50	742.35	6,309.85	5,080.95	1,228.90
10	15-स्थानीय शासन	4,978.01	2,336.13	7,314.14	3,548.31	3,765.83
11	17-रोज़गार	415.03	245.83	660.86	417.83	243.03
12	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	713.86	100.00	813.86	463.18	350.68
13	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण	515.50	शून्य	515.50	376.01	139.49
14	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7847.03	शून्य	7847.03	7702.37	144.66
15	21-महिला एवं बाल विकास	1,415.34	100.00	1,515.34	1,152.58	362.76
16	23-खाद्य एवं आपूर्ति	651.32	363.22	1,014.54	616.43	398.11
17	24-सिंचाई	2,654.68	शून्य	2,654.68	1,521.67	1,133.01
18	27-कृषि	3,612.63	430.22	4,042.85	2,348.08	1,694.77
19	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	1,137.16	19.00	1,156.16	865.07	291.09
20	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	5,973.60	921.70	6,895.30	4,484.00	2,411.30
21	33-सहकारिता	506.89	शून्य	506.89	340.54	166.35
22	34-परिवहन	2,192.02	0.70	2,192.72	1,703.05	489.67
23	36-गृह	5,356.76	90.00	5,446.76	4,644.54	802.22
24	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	2,112.76	365.18	2,477.94	2,230.01	247.93
25	40-ऊर्जा और विद्युत	6,710.29	997.02	7,707.31	5,810.98	1,896.33
26	42-न्याय प्रशासन	987.08	5.75	992.83	645.78	347.05
	<b>कुल</b>	<b>84,893.02</b>	<b>7,390.45</b>	<b>92,283.47</b>	<b>71,157.15</b>	<b>21,126.32</b>
<b>राजस्व भारित</b>						
27	6-वित्त	18,304.58	शून्य	18,304.58	17,114.67	1,189.91
	<b>कुल</b>	<b>18,304.58</b>	<b>शून्य</b>	<b>18,304.58</b>	<b>17,114.67</b>	<b>1,189.91</b>
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>						
28	7-आयोजना और सांख्यिकी	309.00	शून्य	309.00	108.52	200.48
29	8-भवन एवं सड़कें	2,477.69	शून्य	2,477.69	1,582.60	895.09
30	9-शिक्षा	1,600.00	शून्य	1,600.00	283.78	1,316.22
31	13-स्वास्थ्य	966.00	319.00	1,285.00	768.29	516.71
32	14-शहरी विकास	1,450.00	शून्य	1,450.00	564.29	885.71
33	21-महिला एवं बाल विकास	172.02	शून्य	172.02	57.17	114.85
34	23-खाद्य एवं आपूर्ति	16,002.56	शून्य	16,002.56	13,152.68	2,849.88
35	24-सिंचाई	2,155.87	शून्य	2,155.87	1,327.45	828.42
36	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	327.00	शून्य	327.00	97.06	229.94
37	33-सहकारिता	172.50	शून्य	172.50	59.80	112.70

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
38	34-परिवहन	410.71	15.30	426.01	201.31	224.70
39	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	1,500.51	482.25	1,982.76	949.22	1,033.54
40	40-ऊर्जा और विद्युत	785.85	शून्य	785.85	550.09	235.76
41	42-न्याय प्रशासन	150.00	शून्य	150.00	30.58	119.42
42	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,212.52	शून्य	1,212.52	925.70	286.82
	<b>कुल</b>	<b>29,692.23</b>	<b>816.55</b>	<b>30,508.78</b>	<b>20,658.54</b>	<b>9,850.24</b>
<b>पूँजीगत (भारित)</b>						
43	24-सिंचाई	150.00	शून्य	150.00	33.20	116.80
44	सार्वजनिक ऋण	22,591.81	11,072.60	33,664.41	29,497.60	4,166.81
	<b>कुल</b>	<b>22,741.81</b>	<b>11,072.60</b>	<b>33,814.41</b>	<b>29,530.80</b>	<b>4,283.61</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>1,55,631.64</b>	<b>19,279.60</b>	<b>1,74,911.24</b>	<b>1,38,461.16</b>	<b>36,450.08</b>

## परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 70)

₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
<b>1</b>	<b>9-शिक्षा</b>				
(i)	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 97-कक्षा I से VIII तक के सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को मासिक वजीफा	150.00	15.99	134.01	89.34
(ii)	2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 053-भवनों का रखरखाव, 99-सरकारी स्कूलों में विस्तार तथा बदलाव	280.00	64.23	215.77	77.06
(iii)	2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, 001-निदेशन और प्रशासन, 96-उच्चतर शिक्षा विभाग (ई.डी.एच.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) के लिए निष्पादन से जुड़े परिव्यय (पी.एल.ओ.)	122.87	शून्य	122.87	100.00
<b>2</b>	<b>13-स्वास्थ्य</b>				
(i)	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, 80-सामान्य, 199-अन्य गैर सरकारी संस्थानों को सहायता, 99-आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	276.75	22.22	255.53	92.00
<b>3</b>	<b>15-स्थानीय सरकार</b>				
(i)	2217-शहरी विकास, 05-अन्य शहरी विकास योजना, 191-स्थानीय निकाय निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्ड आदि को सहायता, 98-मेरा शहर सर्वोत्तम शहर	500.00	शून्य	500.00	100.00
(ii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 001-निदेशन और प्रशासन., 91-शहरी स्थानीय निकाय विभाग (डी.एल.बी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.)	247.40	शून्य	247.40	100.00
(iii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 95-नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज की सेवाएं	168.00	53.15	114.85	68.36
(iv)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 96-नगर निगमों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान	1,606.40	202.87	1,403.53	87.37
(v)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 86-नया शहरी नवीकरण मिशन (ए.एम.आर.यू.टी.)	1,010.00	369.19	640.81	63.45
(vi)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 88-स्वच्छ भारत मिशन	248.12	57.77	190.35	76.72
(vii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 92-स्टाम्प शुल्क की आय से नगरपालिका समितियों/परिषदों को स्थानीय निकायों को अंशदान	403.00	70.51	332.49	82.50
(viii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 94-प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पी.एम.ए.वाई.-यू)	155.00	54.99	100.01	64.52
(ix)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 97-राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना	134.98	7.06	127.92	94.77

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
<b>4</b>	<b>24-सिंचाई</b>				
(i)	2700-प्रमुख सिंचाई, 80-सामान्य, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता, 96-ग्राम तालाबों का विकास	1,002.00	6.46	995.54	99.36
<b>5</b>	<b>27-कृषि</b>				
(i)	2401-फसल पालन, 108-वाणिज्यिक फसलें, 79-हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत जी.एस.टी. प्लस बाजार शुल्क की प्रतिपूर्ति	404.13	शून्य	404.13	100.00
(ii)	2401-फसल पालन, 109-विस्तार और किसान प्रशिक्षण, 78-कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन	200.00	76.36	123.64	61.82
(iii)	2401-फसल पालन, 109-विस्तार और किसान प्रशिक्षण, 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना	340.00	70.97	269.03	79.13
(iv)	2401-फसल पालन, 113-कृषि इंजीनियरिंग, 82-फसल अवशेष प्रबंधन योजना	453.50	7.49	446.01	98.35
(v)	2401-फसल पालन, 119-बागवानी और सब्जी फसलें, 71-जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना का नाम बदलकर जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के रूप में किया गया	100.00	शून्य	100.00	100.00
(vi)	2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा, 01-फसल पालन, 277-शिक्षा, 99-हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	635.00	471.08	163.92	25.81
<b>6</b>	<b>32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास</b>				
(i)	2505-ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा)	400.00	255.58	144.42	36.11
(ii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 101-पंचायती राज, 89-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,460.00	1,021.80	438.20	30.01
(iii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 94-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एच.जी.वी.वाई.)	556.00	315.32	240.68	43.29
(iv)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता, 99-पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के मानदेय के भुगतान तथा जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन की योजना	668.92	161.48	507.44	75.86
(v)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 87-राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता	365.00	255.50	109.50	30.00
(vi)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 97-अनुसूचित जातियों के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एच.जी.वी.वाई.) के लिए योजना	304.00	44.71	259.29	85.29
<b>7</b>	<b>40 ऊर्जा और विद्युत</b>				
(i)	2801-विद्युत, 05-संचरण और वितरण, 800-अन्य व्यय, 99-एच.वी.पी.एन.एल./ एच.पी.जी.सी.एल. को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता	6,649.93	5,099.93	1,550.00	23.31
(ii)	2801- विद्युत, 80-सामान्य, 001-निर्देशन और प्रशासन, 98-बिजली के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (पी.ओ.डब्ल्यू.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	242.16	शून्य	242.16	100.00

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
<b>राजस्व (भारित)</b>					
<b>1</b>	<b>6-वित्त</b>				
(i)	2049-ब्याज भुगतान, 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज, 200-अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज, 95-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	900.00	505.44	394.56	43.84
(ii)	2075-विविध सामान्य सेवाएं, 797-आरक्षित निधि/जमा खातों में स्थानांतरण, 99-गारंटी रिडिम्शन निधि आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण (मुख्य शीर्ष-8235)	167.00	शून्य	167.00	100.00
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
<b>1</b>	<b>8-भवन एवं सड़कें</b>				
(i)	4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 113-कृषि इंजीनियरिंग, 96-पी.डब्ल्यू.डी. (भवन और सड़क) (बी.ए.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) द्वारा ए.जी.आर.-कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.)	100.00	शून्य	100.00	100.00
(ii)	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला और अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 49-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क. .99-अंबाला क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण	100.00	शून्य	100.00	100.00
(iii)	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला और अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 98-ग्रामीण सड़कें, 99-राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ाई एवं बाय पास	800.00	510.04	289.96	36.25
(iv)	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 98-हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य का हिस्सों को उपलब्ध कराना	250.00	75.44	174.56	69.82
<b>2</b>	<b>09-शिक्षा</b>				
(i)	4202-शिक्षा खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 202-माध्यमिक शिक्षा, 96-ई.डी.एस. शिक्षा (माध्यमिक) (ई.डी.एस.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.)	1,195.00	शून्य	1,195.00	100.00
(ii)	4202-शिक्षा खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 202-माध्यमिक शिक्षा, 97-नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के भवनों का निर्माण	100.00	शून्य	100.00	100.00
<b>3</b>	<b>13-स्वास्थ्य</b>				
(i)	4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 86-चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एम.ई.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.)	158.00	शून्य	158.00	100.00
<b>4</b>	<b>14-शहरी विकास</b>				
	4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय, 60-अन्य शहरी विकास योजना, 051-निर्माण, 89-मंगल नगर विकास योजनाएं	1,450.00	564.29	885.71	61.08
<b>5</b>	<b>23-खाद्य एवं आपूर्ति</b>				
(i)	4408-खाद्य भंडारण और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय, 01-खाद्य, 101-खरीद और आपूर्ति, 97-पूंजी पर ब्याज	900.00	505.44	394.56	43.84
(ii)	4408-खाद्य भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय, 01-खाद्य, 101-खरीद और आपूर्ति, 99-खाद्य वितरण योजना	14,730.00	12,333.59	2,396.41	16.27

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
<b>6</b>	<b>24-सिंचाई</b>				
(i)	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07-सतलुज यमुना लिंक परियोजना, 800-अन्य व्यय, 98-नहर का निर्माण (एस.वाई.एल.)	100.00	शून्य	100.00	100.00
(ii)	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार, 800-अन्य व्यय, 97-नाबार्ड के तहत सिंचाई दक्षता योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई	170.00	शून्य	170.00	100.00
(iii)	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 22-मेवात फीडर नहर, 800-अन्य व्यय, 98 नहरों का निर्माण (मेवात)	200.00	शून्य	200.00	100.00
<b>7</b>	<b>38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति</b>				
(i)	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जल आपूर्ति, 102-ग्रामीण जल आपूर्ति, 93-ग्रामीण जल आपूर्ति (एस.पी.), 93-नाबार्ड	276.00	118.79	157.21	56.96
(ii)	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जल आपूर्ति, 102-ग्रामीण जल आपूर्ति, 93-ग्रामीण जल आपूर्ति (एस.पी.), 94-संवर्द्धन जल आपूर्ति	280.00	174.68	105.32	37.61
(iii)	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जल आपूर्ति, 102-ग्रामीण जल आपूर्ति, 98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति, 99-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अधिकृत (केंद्रीय)	716.94	232.64	484.30	67.55
<b>पूंजीगत भारत</b>					
<b>1</b>	<b>सार्वजनिक ऋण</b>				
(i)	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 107-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण, 99-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	14,800.00	9,808.79	4,991.21	33.72

## परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (ii); पृष्ठ 72)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रावधान ₹ पांच करोड़ तथा बचत कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	उपमंडल स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैटों के लिए स्वर्ण जयंती योजना (4216-01-106-76)	2018-19	20.00	1.00	19.00	95.00
		2019-20	10.00	0.49	9.51	95.10
		2020-21	10.00	0.80	9.20	92.00
2	निदेशालय (स्वर्ण जयंती) के भवन निर्माण हेतु संस्थागत भूखण्ड की खरीद (4235-02-101-93)	2018-19	5.00	0.21	4.79	95.80
		2019-20	15.00	0.24	14.76	98.40
		2020-21	5.00	0.04	4.96	99.20
3	युवा लड़कियों/महिलाओं और परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र (4235-02-103-99)	2018-19	8.00	0.03	7.97	99.63
		2019-20	8.00	0.06	7.94	99.25
		2020-21	5.64	0.63	5.01	88.83
4	कृषि कार्यालय भवन का निर्माण (4401-51-113-97)	2018-19	10.44	2.09	8.35	79.98
		2019-20	10.00	2.70	7.30	73.00
		2020-21	10.00	1.77	8.23	82.30
5	सुगम शिक्षा -सभी विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध कराना (2202-01-800-91-98)	2018-19	50.00	16.16	33.84	67.68
		2019-20	30.00	6.51	23.49	78.30
		2020-21	8.80	2.60	6.20	70.45
6	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (2210-05-105-74)	2018-19	10.50	शून्य	10.50	100.00
		2019-20	10.00	0.50	9.50	95.00
		2020-21	10.00	1.00	9.00	90.00
7	भिवानी में नवीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-93)	2018-19	108.50	1.13	107.37	98.96
		2019-20	100.00	शून्य	100.00	100.00
		2020-21	165.00	शून्य	165.00	100.00
8	भवन निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-98-97)	2018-19	70.00	15.38	54.62	78.03
		2019-20	70.00	12.80	57.20	81.71
		2020-21	71.00	30.00	41.00	57.75
9	दिल्ली के आसपास एन.सी.आर. उपग्रह के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान. (2217-80-800-87)	2018-19	42.00	11.65	30.35	72.26
		2019-20	520.00	43.06	476.94	91.72
		2020-21	50.00	0.04	49.96	99.92
10	दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान (2217-80-789-94)	2018-19	66.00	27.66	38.34	58.09
		2019-20	50.00	22.50	27.50	55.00
		2020-21	35.00	15.43	19.57	55.91
11	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना (2230-03-001-92)	2018-19	17.00	शून्य	17.00	100.00
		2019-20	17.00	3.40	13.60	80.00
		2020-21	10.20	4.50	5.70	55.88
12	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (2235-02-800-73)	2018-19	50.00	1.90	48.10	96.20
		2019-20	30.00	5.39	24.61	82.03
		2020-21	30.00	2.51	27.49	91.63
13	अनुसूचित जातियों के लिए अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (2236-02-789-98)	2018-19	59.61	17.33	42.28	70.93
		2019-20	59.60	11.52	48.08	80.67
		2020-21	59.60	13.74	45.86	76.95

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
14	आतंकवादियों के साथ वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के आश्रितों को अनुग्रह राशि (2235-60-200-77)	2018-19	10.00	2.22	7.78	77.80
		2019-20	7.62	1.11	6.51	85.43
		2020-21	7.00	0.40	6.60	94.29
15	विशेष राजस्व (2700-01-001-89)	2018-19	23.09	0.91	22.18	96.06
		2019-20	24.70	1.05	23.65	95.75
		2020-21	28.09	0.85	27.26	97.05
16	कार्यकारी अभियंता (2700-01-001-91)	2018-19	98.06	4.16	93.90	95.76
		2019-20	121.70	4.60	117.10	96.22
		2020-21	114.85	4.91	109.94	95.72
17	विशेष राजस्व (2700-02-001-89)	2018-19	45.43	3.82	41.61	91.59
		2019-20	46.02	3.10	42.92	93.26
		2020-21	45.00	2.46	42.54	94.53
18	कार्यकारी अभियंता (2700-02-001-91)	2018-19	375.47	25.71	349.76	93.15
		2019-20	393.05	26.68	366.37	93.21
		2020-21	427.95	22.84	405.11	94.66
19	अधीक्षक अभियंता (2700-02-001-92)	2018-19	23.52	1.15	22.37	95.11
		2019-20	23.55	1.58	21.97	93.29
		2020-21	25.90	1.12	24.78	95.68
20	मुख्य अभियंता (2700-18-001-93)	2018-19	7.87	1.07	6.80	86.40
		2019-20	7.00	1.48	5.52	78.86
		2020-21	7.76	0.96	6.80	87.63
21	कार्यकारी अभियंता (2700-18-001-91)	2018-19	63.56	12.51	51.05	80.32
		2019-20	63.56	12.24	51.32	80.74
		2020-21	79.25	12.11	67.14	84.72
22	अधीक्षक अभियंता (2700-18-001-92)	2018-19	6.55	0.53	6.02	91.91
		2019-20	5.96	0.61	5.35	89.77
		2020-21	6.50	0.45	6.05	93.08
23	मुख्य अभियंता (2700-80-001-93)	2018-19	38.26	9.02	29.24	76.42
		2019-20	50.68	11.46	39.22	77.39
		2020-21	63.74	11.48	52.26	81.99
24	राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में निर्माण कार्यों में सुधार एवं जल मार्गों का पुनरुद्धार (4700-16-789-99)	2018-19	15.00	5.90	9.10	60.67
		2019-20	18.00	3.32	14.68	81.56
		2020-21	20.00	4.33	15.67	78.35
25	नहर का निर्माण-जल मार्गों का पुनरुद्धार (4700-16-800-98)	2018-19	22.00	9.38	12.62	57.36
		2019-20	40.00	9.67	30.33	75.83
		2020-21	40.00	12.44	27.56	68.90
26	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (2401-51-109-77)	2018-19	32.00	8.65	23.35	72.97
		2019-20	35.50	8.65	26.85	75.63
		2020-21	21.15	9.48	11.67	55.18
27	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (2401-51-109-78)	2018-19	215.71	72.73	142.98	66.28
		2019-20	200.00	36.69	163.31	81.66
		2020-21	200.00	76.36	123.64	61.82
28	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (2401-51-109-80)	2018-19	400.00	113.09	286.91	71.73
		2019-20	350.00	92.37	257.63	73.61
		2020-21	340.00	70.97	269.03	79.13

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
29	हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना (2401-51-190-99)	2018-19	25.00	5.00	20.00	80.00
		2019-20	25.00	5.00	20.00	80.00
		2020-21	10.00	शून्य	10.00	100.00
30	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (2401-51-789-85)	2018-19	8.00	1.15	6.85	85.63
		2019-20	8.80	0.34	8.46	96.14
		2020-21	8.00	0.33	7.67	95.88
31	स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (2402-51-102-77)	2018-19	30.00	0.85	29.15	97.17
		2019-20	160.26	0.80	159.46	99.50
		2020-21	19.50	0.82	18.68	95.79
32	एकीकृत बंजर भूमि विकास प्रबंधन परियोजना (2501-05-789-99)	2018-19	10.00	शून्य	10.00	100.00
		2019-20	10.00	4.25	5.75	57.50
		2020-21	10.00	4.40	5.60	56.00
33	हरियाणा रोडवेज डिपो (5055-51-102-77)	2018-19	100.00	22.17	77.83	77.83
		2019-20	100.00	4.08	95.92	95.92
		2020-21	100.00	25.47	74.53	74.53
34	हरियाणा कैडेट कोर (2055-51-109-96)	2018-19	6.69	2.93	3.77	56.35
		2019-20	6.68	1.91	4.77	71.41
		2020-21	6.68	शून्य	6.68	100.00
35	सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा (2220-60-800-97)	2018-19	34.50	7.56	26.94	78.09
		2019-20	15.64	3.73	11.91	76.15
		2020-21	12.00	4.37	7.63	63.58
36	ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एस.पी.वी. पावर प्लांट प्रोग्राम (2810-51-101-99)	2018-19	193.60	52.98	140.62	72.63
		2019-20	50.00	16.02	33.98	67.96
		2020-21	10.00	3.71	6.29	62.90
37	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का संगठन और प्रशासन-स्थापना व्यय (2852-07-202-95-98)	2018-19	6.08	3.00	3.08	50.66
		2019-20	11.77	5.39	6.38	54.21
		2020-21	11.96	5.73	6.23	52.09
38	जेलों का आधुनिकीकरण (2056-51-800-99)	2018-19	35.00	1.48	33.52	95.77
		2019-20	35.00	2.05	32.95	94.14
		2020-21	27.29	7.81	19.48	71.38
39	एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम (6425-51-108-99)	2018-19	18.80	4.11	14.69	78.14
		2019-20	6.00	2.51	3.49	58.17
		2020-21	12.00	शून्य	12.00	100.00
40	मंत्रियों को मंत्रियों, उप मंत्रियों/ राज्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों तथा राज्य विधायकों को गृह निर्माण के लिए अग्रिम (7610-51-201-98)	2018-19	15.00	2.10	12.90	86.00
		2019-20	15.00	1.59	13.41	89.40
		2020-21	15.00	4.38	10.62	70.80
41	बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की आपूर्ति (2245-01-101-98)	2018-19	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2019-20	6.00	शून्य	6.00	100.00
		2020-21	6.00	शून्य	6.00	100.00
42	स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन के लिए स्वर्ण जयंती हरियाणा संस्थान (5475-51-115-98)	2018-19	10.00	शून्य	10.00	100.00
		2019-20	9.28	शून्य	9.28	100.00
		2020-21	5.00	शून्य	5.00	100.00

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
43	इज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (2202-02-105-93)	2018-19	25.00	11.33	13.67	54.68
		2019-20	13.00	शून्य	13.00	100.00
		2020-21	5.00	शून्य	5.00	100.00
44	नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के भवन का निर्माण (4202-01-202-97)	2018-19	100.00	शून्य	100.00	100.00
		2019-20	100.00	शून्य	100.00	100.00
		2020-21	100.00	शून्य	100.00	100.00
45	नलहार में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य-भवन का निर्माण (4210-03-105-90-99)	2018-19	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2019-20	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2020-21	30.00	0.17	29.83	99.43
46	स्वच्छ भारत मिशन (2217-80-192-88)	2018-19	128.00	5.65	122.35	95.59
		2019-20	60.00	शून्य	60.00	100.00
		2020-21	248.12	57.77	190.35	76.72
47	किसी भी आपदा के कारण छोटे दुकानदारों की व्यावसायिक संपत्ति के नुकसान के मुआवजे की योजना (2217-80-192-90)	2018-19	5.00	0.08	4.92	98.40
		2019-20	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2020-21	5.00	शून्य	5.00	100.00
48	अग्निशमन सेवाओं का सुदृढीकरण (2217-80-192-98)	2018-19	35.00	8.78	26.22	74.91
		2019-20	25.00	शून्य	25.00	100.00
		2020-21	60.00	शून्य	60.00	100.00
49	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्वी मीट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2225-01-277-68)	2018-19	35.00	शून्य	35.00	100.00
		2019-20	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2020-21	5.00	शून्य	5.00	100.00
50	आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण (नाबार्ड अंशदान) (4235-02-102-99-99)	2018-19	20.00	4.97	15.03	75.15
		2019-20	15.00	शून्य	15.00	100.00
		2020-21	20.00	शून्य	20.00	100.00
51	नहर का निर्माण (एस.वाई.एल.) (4700-07-800-98)	2018-19	100.00	शून्य	100.00	100.00
		2019-20	100.00	शून्य	100.00	100.00
		2020-21	100.00	शून्य	100.00	100.00
52	बी.एम.एल. की बहाली क्षमता (4700-15-800-98)	2018-19	7.00	शून्य	7.00	100.00
		2019-20	7.00	शून्य	7.00	100.00
		2020-21	7.00	3.72	3.28	46.86
53	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना (2403-51-102-81)	2018-19	50.00	25.00	25.00	50.00
		2019-20	40.00	शून्य	40.00	100.00
		2020-21	30.00	शून्य	30.00	100.00
54	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (2505-02-789-99)	2018-19	55.00	शून्य	55.00	100.00
		2019-20	53.50	शून्य	53.50	100.00
		2020-21	15.00	शून्य	15.00	100.00
55	पंचकूला में सूचना भवन निर्माण हेतु भूखंड का भुगतान (4220-60-101-97)	2018-19	10.00	0.42	9.58	95.80
		2019-20	10.00	शून्य	10.00	100.00
		2020-21	10.00	शून्य	10.00	100.00
56	सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना (5425-51-600-99)	2018-19	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2019-20	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2020-21	10.00	शून्य	10.00	100.00

## परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5(iii); पृष्ठ 73)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में ₹ 10 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय
1	3-सामान्य प्रशासन	मुख्य सचिव कार्यालय/स्थापना के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (सी.एस.ई.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2052-51-090-90-51)	20.46	-
2	6-वित्त	गारंटी मोचन निधि-आरक्षित निधि और जमा खाते में अंतरण (मुख्य शीर्ष-8235) (2075-51-797-99-51)	167.00	-
3	7-आयोजना और सांख्यिकी	आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.एस.ए.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (5475-51-115-97-51)	104.00	-
4	8-भवन एवं सड़क	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क (5054-04-337-49-99)	166.66	-
5		पी.डब्ल्यू.डी. (भवन और सड़कें) द्वारा ए.जी.आर.-कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (बी.ए.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4401-51-113-96-51)	100.00	-
6	9-शिक्षा	अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए नकद पुरस्कार योजना (2202-02-789-97-51)	30.00	-
7		चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद की स्थापना (2202-03-102-87-51)	25.00	-
8		डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, की हरियाणा सोनीपत में स्थापना (2202-03-102-89-51)	45.00	-
9		महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक को सहायता (2202-03-102-96-51)	53.00	-
10		नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों के भवन का निर्माण (4202-01-202-97-51)	100.00	-
11		उच्च शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एच.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2202-03-001-96-51)	122.87	-
12		ई.डी.एस.-शिक्षा (माध्यमिक) का निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एस.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4202-01-202-96-51)	1,195.00	-
13		गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम की स्थापना (2202-03-190-99-51)	24.00	-
14		स्कूल भवनों का निर्माण (4202-01-201-99-51)	20.00	-
15		11-खेल एवं युवा कल्याण	खेल और युवा कल्याण के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एस.वाई.डब्ल्यू.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4202-03-102-98-51)	20.00
16	13-स्वास्थ्य	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एम.ई.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4210-03-105-86-51)	158.00	-
17		भिवानी में नवीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य (4210-03-105-93-51)	165.00	-
18		बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक का निर्माण (4210-03-105-91-99)	30.00	-
19	15-स्थानीय शासन	.शहरी स्थानीय निकाय विभाग (डी.एल.बी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (2217-80-001-91-51)	54.40	-
20		अग्निशमन सेवाओं का सुदृढीकरण (2217-80-192-98-51)	60.00	-
21		मेरा शहर सर्वोत्तम शहर (2217-05-191-98-51)	500.00	-
22		जगमग शहर (2217-05-191-99-51)	50.00	-
23		मुख्यमंत्री आवास योजना (2217-80-800-73-51)	100.00	-
24	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण (आई.टी.वी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (2230-03-001-90-51)	50.00	-
25	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डब्ल्यू.एस.बी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2225-01-001-92-51)	30.00	-

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	
26	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एस.जे.ई.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2235-02-001-93-51)	50.00	-	
27	24-सिंचाई	नहर का निर्माण (एसवाईएल) 4700-07-800-98-51	100.00	-	
28		सिंचाई और जल संसाधन विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (आई.आर.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4700-80-800-98-51)	60.00	-	
29		नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई (4701-07-800-97-51)	170.00	-	
30		नहरों का निर्माण (मेवात) (4701-22-800-98-51)	200.00	-	
31		शाखाएं-सिंचाई प्रयोजनों के लिए शोधित अपशिष्ट जल की आपूर्ति (4701-25-800-99-51)	75.00	-	
32	27-कृषि	हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत जी.एस.टी. प्लस बाजार शुल्क की प्रतिपूर्ति (2401-51-108-79-51)	404.13	-	
33		हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढीकरण की योजना (2401-51-109-76-51)	200.00	-	
34		जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना का नाम बदलकर जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के रूप में किया गया (2401-51-119-71-51)	100.00	-	
35	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना (2403-51-102-69-51)	30.00	-	
36		हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना (2403-51-102-81-51)	30.00	-	
37	29-मत्स्य पालन	मछली पालने के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एफ.आई.एस.-पी.एल.ओ.आर.ई.वी.) (2405-51-001-95-51)	38.00	-	
38	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (आर.यू.डी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2501-03-001-97-51)	50.00	-	
39		अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (2505-02-789-99-51)	15.00	-	
40		विकास और पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डी.ई.वी.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4515-51-101-98-51)	227.00	-	
41		हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना (2515-51-102-82-51)	26.00	-	
42		हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की योजना सहायता (2515-51-102-90-51)	30.00	-	
43		स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एस.एम.ए.जी.वाई.) के लिए योजना (2515-51-102-96-99)	30.00	-	
44		हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता योजना (2515-51-789-91-51)	20.00	-	
45		अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एस.एम.ए.जी.वाई.) की योजना (2515-51-789-99-51)	20.00	-	
46		33-सहकारिता	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (4425-51-108-94-51)	12.00	-
47		36-गृह	विशेष महिला पुलिस स्वयंसेवक (2055-51-109-97-51)	12.72	-
48	40- ऊर्जा एवं विद्युत	5 सितारा पंप सेट की स्थापना के लिए अनुदान (2801-05-190-97-51)	61.82	-	
49	40- ऊर्जा एवं विद्युत	भवन और अन्य क्षेत्रों में 11 के.वी. और 33 के.वी. खतरनाक लाइनों की शिफ्टिंग (2801-05-190-99-99)	17.71	-	
50	42-न्याय प्रशासन	पी.एच.सी.-उच्च न्यायालय के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (पी.एच.सी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2014-51-102-96-51)	250.00	-	
51	45-राज्य सरकार	एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम (6425-51-108-99-51)	12.00	-	
52	द्वारा ऋण और अग्रिम	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास (एच.आर.आई.डी.सी.) को ऋण (7055-51-190-99-51)	100.00	-	
		<b>कुल</b>	<b>5,731.77</b>	<b>-</b>	

स्रोत: वर्ष 2020-21 के लिए विस्तृत विनियोजन लेखे

## परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ 76)

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2021 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1.	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद्	2013-मंत्री-परिषद्	113.10	62.29	55.08	42.27	37.37
2.	3-सामान्य प्रशासन	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	10.00	10.00	100.00	8.00	80.00
3.	4-राजस्व	3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	11.69	10.26	87.77	9.94	85.03
4.		4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	88.14	86.10	97.69	9.70	11.01
5.		4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	45.30	45.28	99.96	37.15	82.01
6.	7-आयोजना और सांख्यिकी	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	108.52	108.52	100.00	65.28	60.15
7.	8-भवन एवं सड़कें	3054-सड़कें और पुल	814.71	502.19	61.64	430.24	52.81
8.		2216-आवास	68.07	47.53	69.83	34.35	50.46
9.	9-शिक्षा	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	283.78	283.78	100.00	207.38	73.08
10.	10-तकनीकी शिक्षा	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	14.64	14.64	100.00	2.40	16.39
11.	11-खेल एवं युवा कल्याण	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	89.97	73.79	82.02	39.54	43.95
12.	13-स्वास्थ्य	4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	766.37	551.64	71.98	269.54	35.17
13.	14-शहरी विकास	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	564.29	339.28	60.13	शून्य	शून्य
14.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	65.12	59.48	91.34	53.75	82.54
15.	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	376.01	191.00	50.80	72.22	19.21
16.	21-महिला एवं बाल विकास	2236-पोषण	238.64	120.41	50.46	39.19	16.42
17.		4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय	57.17	40.23	70.39	23.13	40.46

क्र. स.	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2021 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
18.	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	218.14	196.12	89.91	186.97	85.71
19.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	412.52	226.81	54.98	196.57	47.65
20.		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	690.03	420.72	60.97	343.56	59.79
21.		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	258.09	143.42	55.97	125.78	48.93
22.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,986.62	2,209.50	55.42	1,619.62	40.63
23.		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	97.06	63.82	65.75	28.55	29.41
24.	33-सहकारिता	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	59.42	55.42	93.27	55.42	93.27
25.	34-परिवहन	5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	93.77	93.67	99.89	53.10	56.63
26.	35-पर्यटन	3452-पर्यटन	50.94	45.61	89.54	41.89	82.23
27.	36-गृह	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	160.37	101.93	63.56	41.48	25.87
28.	37-चुनाव	2015-चुनाव	59.15	32.35	54.69	16.24	27.46
29.	40- ऊर्जा एवं विद्युत	2801-विद्युत	5,565.33	2,968.54	53.34	1,679.78	30.18
30.		2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	223.00	172.49	77.35	101.90	45.70
31.	42-न्याय प्रशासन	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	21.18	21.18	100	8.52	40.23
		<b>कुल</b>	<b>15,611.14</b>	<b>9,298.00</b>	<b>59.56</b>	<b>5,843.46</b>	<b>37.43</b>

## परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4.1(ii); पृष्ठ 78)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत की गई

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	पी-01-21-2235-02-001-92-51-आर-वी-महिला एवं बाल विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	500.00	शून्य	500.00	100.00
2	पी-01-21-2235-02-001-97-98-आर-वी-मुख्यालय के लिए स्टाफ (डब्ल्यू.सी.डी.)-स्थापना व्यय	725.00	561.69	163.31	22.53
3	पी-02-21-2235-02-102-69-51-एन-वी-राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना	1,800.00	131.12	1,668.88	92.72
4	पी-02-21-2235-02-102-70-51-एन-वी-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	25.00	शून्य	25.00	100.00
5	पी-02-21-2235-02-102-73-51-एन-वी-एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	4,000.00	3,021.97	978.03	24.45
6	पी-02-21-2235-02-102-74-51-एन-वी-किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला	17.60	1.89	15.71	89.26
7	पी-01-21-2235-02-102-76-51-एन-वी-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के लिए बीमा की भविष्य सुरक्षा योजना	500.00	315.09	184.91	36.98
8	पी-01-21-2235-02-102-78-51-एन-वी-अपनी बेटीयां अपना धन का नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाइली)	8,500.00	7,460.86	1,039.14	12.23
9	पी-01-21-2235-02-102-79-51-एन-वी-स्वर्ण जयंती पुरस्कार योजना	178.00	151.44	26.56	14.92
10	पी-01-21-2235-02-102-80-51-एन-वी-शिशुओं और छोटे बच्चों के आहार में सुधार	16.00	4.98	11.02	68.88
11	पी-02-21-2235-02-102-88-51-एन-वी-आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (उदिशा परियोजना)	120.00	30.85	89.15	74.29
12	पी-01-21-2235-02-102-92-51-एन-वी-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यू.सी.डी.)	72,844.95	63,655.16	9,189.79	12.62
13	पी-01-21-2235-02-102-98-96-आर-वी-निराश्रित बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान-एस.ओ.एस चिल्ड्रन विलेज	35.00	15.75	19.25	55.00
14	पी-01-21-2235-02-102-98-98-आर-वी-निराश्रितों के बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान-निराश्रित बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता हेतु कल्याण	27.00	11.28	15.72	58.22
15	पी-02-2235-02-103-65-51-एन-वी-ऑनर किलिंग का मुकाबला करने के लिए संरक्षण गृह (सुरक्षा गृह)	0.01	शून्य	0.01	100.00
16	पी-03-21-2235-02-103-66-51-एन-वी-महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण	1.00	शून्य	1.00	100.00
17	पी-02-21-2235-02-103-67-51-एन-वी-स्वाधार गृह योजना	1.00	शून्य	1.00	100.00
18	पी-01-21-2235-02-103-73-51-एन-वी-एसिड पीड़ितों की राहत एवं पुनर्वास योजना	30.00	15.13	14.87	49.57
19	पी-02-21-2235-02-103-74-51-एन-वी-महिला शक्ति केंद्र	560.00	61.76	498.24	88.97
20	पी-01-21-2235-02-103-76-51-एन-वी-घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (कक्षाओं की स्थापना)	150.00	101.28	48.72	32.48

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
21	पी-01-21-2235-02-103-79-51-एन-वी-लैंगिक चेतना	4,017.00	1,297.42	2,719.58	67.70
22	पी-01-21-2235-02-103-91-51-आर-वी-कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण	1.00	शून्य	1.00	100.00
23	पी-01-21-2235-02-103-97-51-आर-वी-लोक निर्माण विभाग (बी. एवं आर.) द्वारा गृहों का रखरखाव	1.00	शून्य	1.00	100.00
24	पी-02-21-2235-02-199-99-51-एन-वी-उज्ज्वला योजना	20.00	शून्य	20.00	100.00
25	पी-02-21-2235-02-789-90-51-एन-वी-अनुसूचित जाति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को वित्तीय सहायता	9,500.00	3,844.59	5,655.41	59.53
26	पी-01-21-2235-02-789-92-51-एन-वी-अनुसूचित जाति के परिवारों को शिशुओं तथा छोटे बच्चों की खुराक में सुधार हेतु वित्तीय सहायता	4.00	शून्य	4.00	100.00
27	पी-01-21-2235-02-789-94-51-एन-वी-हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	125.00	100.00	25.00	20.00
28	पी-01-21-2235-02-789-96-51-एन-वी-लैंगिक चेतना याजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	3.50	0.87	2.63	75.14
29	पी-01-21-2235-02-789-98-51-एन-वी-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	250.00	201.27	48.73	19.49
30	पी-01-21-2235-02-800-81-95-आर-वी- जेजे अधिनियम का कार्यान्वयन, जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत किशोर/निरीक्षण गृहों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठन को सहायता अनुदान	20.00	14.80	5.20	26.00
31	पी-01-21-2235-02-800-81-98-आर-वी-जे.जे.अधिनियम का कार्यान्वयन रिमान्ड/ निरीक्षण गृह	334.20	285.12	49.08	14.69
32	पी-01-21-2235-02-800-82-98-एन-वी-हरियाणा राज्य महिला आयोग -महिला जागरूकता और प्रबंधन अकादमी को वित्तीय सहायता (डग्ल्यू.ए.एम.ए.)	40.00	16.00	24.00	60.00
33	पी-01-21-2235-02-800-86-51-आर-वी-हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान	90.00	72.00	18.00	20.00
34	पी-01-21-2235-02-800-87-51-आर-वी-हरियाणा महिला विकास निगम	770.00	659.00	111.00	14.42
35	पी-02-21-2236-02-101-88-51-एन-वी-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)	5,000.00	2,251.42	2,748.58	54.97
36	पी-02-21-2236-02-101-89-51-एन-वी-किशोरियों के लिए योजना	89.90	12.38	77.52	86.23
37	पी-02-21-2236-02-101-95-51-एन-वी-पूरक पोषण कार्यक्रम	20,000.00	16,799.38	3,200.62	16.00
38	पी-01-21-2236-02-101-97-51-आर-वी-पंजिरी प्लांट घरोंडा	184.85	161.08	23.77	12.86
39	पी-01-21-2236-02-101-99-51-आर-वी-मुख्यालय के लिए स्टॉफ	26.20	13.50	12.70	48.47
40	पी-02-21-2236-02-789-96-51-एन-वी-अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)	1,500.00	1,204.44	295.56	19.70
41	पी-02-21-2236-02-789-97-51-एन-वी- किशोरियों के लिए राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना (सबला) के अंतर्गत अनुसूचित जाति की किशोरियों को वित्तीय सहायता	9.70	शून्य	9.70	100.00
42	पी-02-21-2236-02-789-98-51-एन-वी-अनुसूचित जातियों के लिए अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम	5,960.00	1,373.77	4,586.23	76.95

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
43	पी-02-21-2236-80-102-99-51-एन-वी-पोषण अभियान के लिए योजना	5,198.96	2,047.72	3,151.24	60.61
	<b>कुल राजस्व</b>	<b>1,43,175.87</b>	<b>1,05,895.01</b>	<b>37,280.86</b>	<b>26.04</b>
1	पी-01-21-4235-02-101-90-51-आर-वी-महिला और बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) के निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.)	500.00	शून्य	500.00	100.00
2	पी-01-21-4235-02-102-97-99-एन-वी-जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन -रिमांड/निरीक्षण गृह	5,000.00	4,255.14	744.86	14.90
3	पी-01-21-4235-02-102-99-98-एन-वी-आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण-राज्य का योगदान	6,000.00	670.17	5,329.83	88.83
4	पी-01-21-4235-02-102-99-99-एन-वी-आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण-नाबार्ड का योगदान	2,000.00	403.47	1,596.53	79.83
5	पी-02-21-4235-02-102-99-51-एन-वी-आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण	2,000.00	205.67	1,794.33	89.72
6	पी-02-21-4235-02-103-95-51-एन-वी-ऑनर किलिंग का मुकाबला करने के लिए संरक्षण गृह (सुरक्षा गृह) का निर्माण	0.01	शून्य	0.01	100.00
7	पी-03-21-4235-02-103-96-51-एन-वी-महिला योजना के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की स्थापना हेतु भवन निर्माण योजना	1.00	शून्य	1.00	100.00
8	पी-01-21-4235-02-103-99-51-एन-वी-युवा लड़कियों/महिलाओं और परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र	200.00	62.77	137.23	68.62
9	पी-01-21-4235-02-789-99-51-एन-वी-आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण	1,500.00	50.26	1,449.74	96.65
	<b>कुल पूंजी</b>	<b>17,201.01</b>	<b>5,647.48</b>	<b>11,553.53</b>	<b>67.17</b>

## परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4.1(iii); पृष्ठ 78)

पिछले तीन वर्षों से लगातार बचत के संबंध में शीर्ष-वार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	पी-01-21-2235-02-001-92-51-आर-वी-महिला एवं बाल विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	2018-19	0.01	शून्य	0.01	100.00
		2019-20	0.01	शून्य	0.01	100.00
		2020-21	500.00	शून्य	500.00	100.00
2	पी-02-21-2235-02-102-69-51-एन-वी-राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना	2018-19	145.00	73.72	71.28	49.16
		2019-20	214.00	170.42	43.58	20.36
		2020-21	1,800.00	131.12	1,668.88	92.72
3	पी-02-21-2235-02-102-70-51-एन-वी-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	2018-19	25.00	शून्य	25.00	100.00
		2019-20	25.00	शून्य	25.00	100.00
		2020-21	25.00	शून्य	25.00	100.00
4	पी-02-21-2235-02-102-74-51-एन-वी-किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला	2018-19	170.00	25.95	144.05	84.74
		2019-20	73.70	15.51	58.19	78.96
		2020-21	17.60	1.89	15.71	89.26
5	पी-01-21-2235-02-102-76-51-एन-वी-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के लिए भविष्य सुरक्षा बीमा योजना	2018-19	530.00	429.44	100.56	18.97
		2019-20	530.00	323.91	206.09	38.88
		2020-21	500.00	315.09	184.91	36.98
6	पी-01-21-2235-02-102-80-51-एन-वी-शिशुओं और छोटे बच्चों के आहार में सुधार	2018-19	16.00	14.06	1.94	12.13
		2019-20	16.00	13.40	2.60	16.25
		2020-21	16.00	4.98	11.02	68.88
7	पी-02-21-2235-02-102-88-51-एन-वी-आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (उड़ीशा परियोजना)	2018-19	500.00	100.00	400.00	80.00
		2019-20	500.00	शून्य	500.00	100.00
		2020-21	120.00	30.85	89.15	74.29
8	पी-01-21-2235-02-102-92-51-एन-वी-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यू.सी.डी.)	2018-19	66,900.00	52,781.09	14,118.91	21.10
		2019-20	68,250.00	56,672.86	11,577.14	16.96
		2020-21	72,844.95	63,655.16	9,189.79	12.62
9	पी-01-21-2235-02-102-98-98-आर-वी-निराश्रित बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता निराश्रितों के स्वैच्छिक संगठन को अनुदान-निराश्रित बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता हेतु कल्याण	2018-19	27.00	21.66	5.34	19.78
		2019-20	27.00	9.60	17.40	64.44
		2020-21	27.00	11.28	15.72	58.22
10	पी-02-21-2235-02-103-67-51-एन-वी-स्वाधार गृह योजना	2018-19	30.00	1.55	28.45	94.83
		2019-20	30.00	शून्य	30.00	100.00
		2020-21	1.00	शून्य	1.00	100.00
11	पी-01-21-2235-02-103-73-51-एन-वी-एसिड पीड़ितों की राहत एवं पुनर्वास योजना	2018-19	30.00	5.20	24.80	82.67
		2019-20	30.00	6.55	23.45	78.17
		2020-21	30.00	15.13	14.87	49.57
12	पी-02-21-2235-02-103-74-51-एन-वी-महिला शक्ति केंद्र	2018-19	38.00	शून्य	38.00	100.00
		2019-20	560.00	25.46	534.54	95.45
		2020-21	560.00	61.76	498.24	88.97
13	पी-01-21-2235-02-103-76-51-एन-वी-घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (कक्षा की स्थापना)	2018-19	150.00	120.91	29.09	19.39
		2019-20	150.00	106.63	43.37	28.91
		2020-21	150.00	101.28	48.72	32.48

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
14	पी-01-21-2235-02-103-79-51-एन-वी-लैंगिक चेतना	2018-19	17.00	8.04	8.96	52.71
		2019-20	17.00	9.79	7.21	42.41
		2020-21	4,017.00	1,297.42	2,719.58	67.70
15	पी-01-21-2235-02-103-91-51-आर-वी-कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण	2018-19	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2019-20	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2020-21	1.00	शून्य	1.00	100.00
16	पी-01-21-2235-02-103-97-51-आर-वी-लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) द्वारा घर का रख-रखाव	2018-19	4.00	1.00	3.00	75.00
		2019-20	4.00	शून्य	4.00	100.00
		2020-21	1.00	शून्य	1.00	100.00
17	पी-02-21-2235-02-199-99-51-एन-वी-उज्ज्वला योजना	2018-19	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2019-20	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2020-21	20.00	शून्य	20.00	100.00
18	पी-01-21-2235-02-789-92-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के परिवारों को शिशुओं तथा छोटे बच्चों की खुराक में सुधार हेतु वित्तीय सहायता	2018-19	4.00	2.28	1.72	43.00
		2019-20	4.00	3.10	0.90	22.50
		2020-21	4.00	शून्य	4.00	100.00
19	पी-01-21-2235-02-789-96-51-एन-वी- लैंगिक चेतना योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	2018-19	3.50	शून्य	3.50	100.00
		2019-20	3.50	शून्य	3.50	100.00
		2020-21	3.50	0.87	2.63	75.14
20	पी-01-21-2235-02-800-81-95-आर-वी- जेजे अधिनियम का कार्यान्वयन जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत किशोर/निरीक्षण गृहों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठन को सहायता अनुदान-	2018-19	22.00	18.90	3.10	14.09
		2019-20	22.00	शून्य	22.00	100.00
		2020-21	20.00	14.80	5.20	26.00
21	पी-01-21-2235-02-800-81-98-आर-वी-जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन -रिमांड/निरीक्षण गृह	2018-19	307.70	249.45	58.25	18.93
		2019-20	332.70	212.16	120.54	36.23
		2020-21	334.20	285.12	49.08	14.69
22	पी-01-21-2235-02-800-82-98-एन-वी-हरियाणा राज्य महिला आयोग-महिला जागरूकता और प्रबंधन अकादमी को वित्तीय सहायता (डग्ल्यू.ए.एम.ए.)	2018-19	40.00	20.00	20.00	50.00
		2019-20	40.00	16.00	24.00	60.00
		2020-21	40.00	16.00	24.00	60.00
23	पी-01-21-2235-02-800-86-51-आर-वी-हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान	2018-19	20.00	14.00	6.00	30.00
		2019-20	20.00	8.00	12.00	60.00
		2020-21	90.00	72.00	18.00	20.00
24	पी-01-21-2235-02-800-87-51-आर-वी-हरियाणा महिला विकास निगम	2018-19	650.00	455.00	195.00	30.00
		2019-20	650.00	382.00	268.00	41.23
		2020-21	770.00	659.00	111.00	14.42
25	पी-02-21-2236-02-101-88-51-एन-वी-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)	2018-19	7,845.00	1,410.39	6,443.61	82.14
		2019-20	5,000.00	2,752.39	2,247.61	44.95
		2020-21	5,000.00	2,251.42	2,748.58	54.97
26	पी-02-21-2236-02-101-89-51-एन-वी-किशोरियों के लिए योजना	2018-19	1,825.50	48.52	1,776.98	97.34
		2019-20	121.50	25.75	95.75	78.81
		2020-21	89.90	12.38	77.52	86.23
27	पी-02-21-2236-02-101-95-51-एन-वी-पूरक पोषण कार्यक्रम	2018-19	23,844.00	6,831.54	1,7012.46	71.35
		2019-20	15,000.00	7,422.82	7,577.18	50.51
		2020-21	20,000.00	16,799.38	3,200.62	16.00
28	पी-01-21-2236-02-101-97-51-आर-वी-पजिरी प्लांट घरोंडा	2018-19	95.85	73.68	22.17	23.13
		2019-20	96.85	60.11	36.74	37.93
		2020-21	184.85	161.08	23.77	12.86

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
29	पी-02-21-2236-02-789-96-51-एन-वी-अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)	2018-19	1,800.00	228.97	1,571.03	87.28
		2019-20	1,500.00	636.90	863.10	57.54
		2020-21	1,500.00	1,204.44	295.56	19.70
30	पी-02-21-2236-02-789-97-51-एन-वी- किशोरियों के लिए राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना (सबला) के अंतर्गत अनुसूचित जाति की किशोरियों को वित्तीय सहायता	2018-19	1,000.00	3.95	996.05	99.61
		2019-20	30.00	0.02	29.98	99.93
		2020-21	9.70	शून्य	9.70	100.00
31	पी-02-21-2236-02-789-98-51-एन-वी-अनुसूचित जातियों के लिए अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम	2018-19	5,961.00	1,732.60	4,228.40	70.93
		2019-20	5,960.00	1,151.75	4,808.25	80.68
		2020-21	5,960.00	1,373.77	4,586.23	76.95
32	पी-01-21-4235-02-101-90-51-आर-वी-महिला और बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) के निष्पादन से जुड़े परिव्यय (पी.एल.ओ.)	2018-19	0.01	शून्य	0.01	100.00
		2019-20	0.01	शून्य	0.01	100.00
		2020-21	500.00	शून्य	500.00	100.00
33	पी-01-21-4235-02-102-97-99-एन-वी-जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन-रिमांड/ निरीक्षण गृह	2018-19	1,350.00	747.31	602.69	44.64
		2019-20	1,350.00	999.68	350.32	25.95
		2020-21	5,000.00	4,255.14	744.86	14.90
34	पी-01-21-4235-02-102-99-98-एन-वी-आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण-राज्य का योगदान	2018-19	8,116.15	4,391.81	3,724.34	45.89
		2019-20	8,100.00	642.14	7,457.86	92.07
		2020-21	6,000.00	670.17	5,329.83	88.83
35	पी-01-21-4235-02-102-99-99-एन-वी-आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण-नाबार्ड का योगदान	2018-19	2,000.00	497.38	1,502.62	75.13
		2019-20	1,500.00	शून्य	1,500.00	100.00
		2020-21	2,000.00	403.47	1,596.53	79.83
36	पी-02-21-4235-02-102-99-51-एन-वी-आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण-	2018-19	2,850.00	1,674.96	1,175.04	41.23
		2019-20	2,000.00	शून्य	2,000.00	100.00
		2020-21	2,000.00	205.67	1,794.33	89.72
37	पी-03-21-4235-02-103-96-51-एन-वी- महिला योजना के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की स्थापना हेतु भवन निर्माण	2018-19	60.00	शून्य	60.00	100.00
		2019-20	60.00	शून्य	60.00	100.00
		2020-21	1.00	शून्य	1.00	100.00
38	पी-01-21-4235-02-789-99-51-एन-वी-आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण	2018-19	1,600.00	963.90	636.10	39.76
		2019-20	1,568.00	150.64	1,417.36	90.39
		2020-21	1,500.00	50.26	1,449.74	96.65

## परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4.2 (ii); पृष्ठ 82)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें 2020-21 के दौरान बचत की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	<b>2401-फसल पालन</b>				
1	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना पी-02-27-2401-51-105-84-51	1.74	1.07	0.67	39
2	कृषि आदानों पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए योजना पी-01-27-2401-51-105-96-51	27.75	11.23	16.52	60
3	हरियाणा राज्य में कपास की खेती को बढ़ावा देने की योजना पी-01-27-2401-51-108-80-51	5.00	1.25	3.75	75
4	हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढीकरण के लिए योजना (नई योजना) पी-01-27-2401-51-109-76-51	200.00	शून्य	200.00	100
5	हरियाणा किसान आयोग के गठन की योजना पी-01-27-2401-51-109-79-51	3.00	1.59	1.41	47
6	सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजना - सामरिक पहल और किसान कल्याण कोष पी-01-27-2401-51-109-81-51	13.40	5.91	7.49	56
7	फसल अवशेष प्रबंधन योजना पी-01-27-2401-51-113-82-51	453.50	7.49	446.01	98
8	कृषि इंजीनियरिंग सेवा योजना पी-01-27-2401-51-113-96-51	8.00	4.52	3.48	44
	<b>2402-मृदा और जल संरक्षण</b>				
9	राज्य-त्वणगीय मिट्टी और जल भराव के सुधार के लिए पायलट परियोजना की योजना पी-02-27-2402-51-102-86-99- सामान्य योजना	4.50	2.40	2.10	47
	<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं (साझाकरण आधार)</b>				
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (आर.के.वी.वाई.) (60:40) पी-02-27-2401-51-109-80-51	340.00	70.97	269.03	79
11	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की योजना (आर.के.वी.वाई.) (60:40) पी-02-27-2401-51-789-97-51	20.00	11.73	8.27	41
12	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) (60:40) पी-02-27-2401-51-109-77-51	21.15	9.48	11.67	55
13	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) (60:40) पी-02-27-2401-51-789-85-51	8.00	0.33	7.67	96
14	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एस.एम.ए.एम.) (60:40) पी-02-27-2401-51-109-78-51	200.00	76.36	123.64	62
	<b>2402-मृदा और जल संरक्षण (40:60)</b>				
15	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन पी-02-27-2402-51-102-77-51	19.50	0.82	18.68	96
16	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पी-02-27-2402-51-101-95-51	14.00	4.20	9.80	70
17	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पी-02-27-2402-51-789-98-51	3.12	0.72	2.40	77
	<b>केंद्र क्षेत्र स्कीम</b>				
18	हरियाणा में प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के अनुमानों की समय पर रिपोर्टिंग के लिए योजना पी-03-27-2401-51-111-97-51	0.80	0.50	0.30	38
19	फसल सांख्यिकी में सुधार के लिए योजना पी-03-27-2401-51-111-96-51	0.95	0.55	0.40	42
20	राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एन.एम.ए.ई.टी.) के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री (एस.एम.एस.पी.) पर उप मिशन पी-03-27-2401-51-190-98-51-एन-वी	0.85	शून्य	0.85	100
21	4401-कृषि/बागवानी कार्यालय भवन का निर्माण पी-01-08-4401-51-113-97-51	10.00	1.77	8.23	82

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	<b>हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय</b>				
22	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान-सामान्य योजना पी-01-27-2415-01-277-99-99-एन-वी	485.00	339.50	145.50	30
23	कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करने की योजना पी-01-27-2415-01-789-99-51-एन-वी	6.37	4.50	1.87	29
	<b>बागवानी</b>				
24	कृषि मानव संसाधन विकास योजना 2401-51-119-92-98	3.59	1.76	1.83	51
25	हरियाणा में सह-खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन/पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के लिए योजना 2401-51-119-70-51	100.00	0.79	99.21	99
26	हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना के लिए योजना 2401-51-190-99-51	10.00	शून्य	10.00	100
27	जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना का नाम बदलकर जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के रूप में किया गया 2401-51-119-71-51	100.00	शून्य	100.00	100
28	'सिल्क समग्र'-सिल्क उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना 2401-51-119-50-51	0.55	0.38	0.17	31
29	'सिल्क समग्र' अनुसूचित जाति के लिए सिल्क उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना 2401-51-789-84-51	0.60	0.23	0.37	62
		<b>2,061.37</b>	<b>560.05</b>	<b>1,501.32</b>	<b>73</b>

## परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4.2 (iii); पृष्ठ 82)

पिछले तीन वर्षों से लगातार बचत के संबंध में शीर्ष-वार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	बजट प्रावधान/ संशोधित बजट	व्यय	बचत	प्रतिशत
1	हरियाणा किसान आयोग के गठन की योजना (पी-01-27-2401-51-109-79-51)	2018-19	500.00	214.84	285.16	57.03
		2019-20	500.00	170.19	329.81	65.96
		2020-21	300.00	159.21	140.79	46.93
2	सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजना- सामरिक पहल और किसान कल्याण कोष (पी-01-27-2401-51-109-81-51)	2018-19	50,286.00	7,383.47	42,902.53	85.32
		2019-20	2,000.00	1,309.00	691.00	34.55
		2020-21	1,340.00	590.80	749.20	55.91
3	प्रदर्शनी और प्रचार (पी-01-27-2401-51-109-99-51-आर-सी)	2018-19	4.00	शून्य	4.00	100.00
		2019-20	2.00	0.40	1.60	80.00
		2020-21	2.00	0.31	1.69	84.50
4	कृषि इंजीनियरिंग सेवा के लिए स्कीम (पी-01-27-2401-51-113-96-51)	2018-19	500.00	329.02	170.98	34.20
		2019-20	6,361.32	369.30	5,975.26	94.18
		2020-21	800.00	451.90	348.10	43.51
5	किसानों के समूह और अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर उपकरण/ मशीनरी उपलब्ध कराने की स्कीम (पी-01-27-2401-51-789-89-51)	2018-19	50.00	14.25	35.75	71.50
		2019-20	50.00	1.94	48.07	96.14
		2020-21	5.00	3.38	1.62	32.40
6	राज्य-त्वणीय मिट्टी और जलभराव के सुधार के लिए पायलट परियोजना की योजना-सामान्य योजना (पी-01-27-2402-51-102-86-99)	2018-19	1,000.00	214.39	785.61	78.56
		2019-20	500.00	347.77	442.88	56.01
		2020-21	450.00	240.33	209.67	46.59
7	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (पी-02-27-2401-51-109-77-51)	2018-19	3,200.00	864.99	2,335.01	72.97
		2019-20	3,550.00	864.97	2,685.03	75.63
		2020-21	2,115.00	948.43	1,166.58	55.16
8	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (पी-02-27-2401-51-109-78-51)	2018-19	21,571.00	7,272.91	12,396.09	63.02
		2019-20	20,000.00	3,669.04	16,330.96	81.65
		2020-21	20,000.00	7,636.25	12,363.75	61.82
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पी-02-27-2401-51-109-80-51)	2018-19	40,000.00	11,309.19	28,690.81	71.73
		2019-20	35,000.00	9,236.64	25,763.46	73.61
		2020-21	34,000.00	7,097.05	26,902.95	79.13
10	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (पी-02-27-2401-51-789-85-51)	2018-19	800.00	115.37	684.63	85.58
		2019-20	880.00	115.00	765.00	86.93
		2020-21	800.00	32.55	767.45	95.93
11	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (पी-02-27-2402-51-102-77-51)	2018-19	3,000.00	84.28	2915.72	97.19
		2019-20	16,025.00	79.60	15,945.40	99.50
		2020-21	1,950.00	81.67	1,868.33	95.81
12	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (पी-02-27-2402-51-789-98-51)	2018-19	400.00	169.92	230.08	57.52
		2019-20	316.52	186.79	129.73	40.99
		2020-21	312.00	71.81	240.19	76.98
13	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (पी-02-27-2402-51-789-99-51)	2018-19	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2019-20	3,000.00	शून्य	3,000.00	100.00
		2020-21	1.00	शून्य	1.00	100.00
14	बायोगैस संयंत्र की स्थापना (पी-03-27-2401-51-105-94-51)	2018-19	600.00	शून्य	600.00	100.00
		2019-20	150.00	शून्य	150.00	100.00
		2020-21	10.00	शून्य	10.00	100.00

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	बजट प्रावधान/ संशोधित बजट	व्यय	बचत	प्रतिशत
15	फसल सांख्यिकी में सुधार के लिए योजना (पी-03-27-2401-51-111-96-51)	2018-19	90.00	53.74	36.26	40.29
		2019-20	90.00	54.76	35.24	39.16
		2020-21	95.00	55.14	39.86	41.96
16	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की स्कीम (पी-03-27-2401-51-789-86-51)	2018-19	1.00	शून्य	1.00	100.00
		2019-20	10.00	शून्य	10.00	100.00
		2020-21	10.00	शून्य	10.00	100.00
17	कृषि मानव संसाधन विकास स्कीम (पी-01-27-2401-51-119-92-98)	2018-19	336.00	220.42	115.58	34.40
		2019-20	423.00	212.91	210.09	49.67
		2020-21	358.80	176.46	182.34	50.82
18	हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना के लिए योजना (पी-01-27-2401-51-190-99-51)	2018-19	2,500.00	500.00	2,000.00	80.00
		2019-20	2,500.00	500.00	2,000.00	80.00
		2020-21	1,000.00	शून्य	1,000.00	100.00

## परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 92)

31 अगस्त 2021 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1.	पुलिस (2055)	2017-18	3	71.22	2	53.07	2	53.07	शून्य	शून्य
		2018-19	3	128.05	3	128.05	3	128.05	शून्य	शून्य
		2019-20	1	34.33	1	34.33	शून्य	शून्य	1	34.33
2.	सामान्य शिक्षा (2202)	2014-15	739	1,382.54	8	1.02	शून्य	शून्य	8	1.02
		2015-16	1,063	1,542.62	25	4.82	5	0.96	20	3.86
		2016-17	1,332	1,618.88	21	2.74	शून्य	शून्य	21	2.74
		2017-18	1,385	1,656.36	4	31.10	शून्य	शून्य	4	31.10
		2018-19	866	1,560.24	12	223.59	5	33.79	7	189.80
		2019-20	47	545.79	47	545.79	3	0.16	44	545.63
3.	तकनीकी शिक्षा (2203)	2016-17	102	227.06	3	16.50	2	6.50	1	10.00
		2017-18	90	218.18	5	16.65	2	4.00	3	12.65
		2018-19	109	252.21	2	0.87	1	0.86	1	0.01
4.	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2015-16	130	124.02	14	0.72	शून्य	शून्य	14	0.72
		2016-17	56	90.69	18	6.80	शून्य	शून्य	18	6.80
		2017-18	229	73.14	11	12.39	शून्य	शून्य	11	12.39
		2018-19	544	79.62	10	0.04	शून्य	शून्य	10	0.04
		2019-20	1	0.19	1	0.19	शून्य	शून्य	1	0.19
5.	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	1	0.30	शून्य	शून्य	1	0.30
		2018-19	3	12.73	3	12.73	1	0.05	2	12.68
		2019-20	1	2.00	1	2.00	शून्य	शून्य	1	2.00
6.	चिकित्सा (2210)	2017-18	82	1,031.67	3	1.45	2	0.53	1	0.92
		2018-19	86	1,229.21	39	619.06	34	610.90	5	8.16
		2019-20	54	796.03	54	796.03	शून्य	शून्य	54	796.03
7.	शहरी विकास (2217)	2012-13	96	1,274.01	22	337.24	3	119.89	19	217.35
		2013-14	73	1,120.80	18	351.65	शून्य	शून्य	18	351.65
		2014-15	87	1,115.43	26	180.20	2	19.79	24	160.41
		2015-16	122	1,478.70	51	391.69	1	87.60	50	304.09
		2016-17	219	2,227.25	130	1,076.99	10	150.94	120	926.05
		2017-18	395	2,781.01	286	1,286.42	36	207.53	250	1,078.89
		2018-19	105	1,841.76	92	1,647.01	16	416.36	76	1,230.65
		2019-20	52	1,750.54	52	1,750.54	शून्य	शून्य	52	1,750.54
8.	सूचना एवं प्रचार (2220)	2017-18	70	16.25	22	10.27	16	8.48	6	1.79
		2018-19	29	15.36	29	15.36	18	10.06	11	5.30
		2019-20	15	7.73	15	7.73	शून्य	शून्य	15	7.73
9.	श्रम एवं रोजगार (2230)	2017-18	4	23.07	1	6.47	1	6.47	शून्य	शून्य
		2019-20	5	62.85	5	62.85	शून्य	शून्य	5	62.85
10.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235)	2014-15	33	43.71	2	11.53	शून्य	शून्य	2	11.53
		2015-16	355	50.55	6	3.36	1	0.02	5	3.34
		2017-18	38	34.20	19	14.68	4	0.59	15	14.09
		2018-19	208	87.41	22	17.08	11	11.73	11	5.35
		2019-20	27	12.77	27	12.77	शून्य	शून्य	27	12.77
11.	फसल पालन (2401)	2018-19	14	199.46	14	199.46	9	143.58	5	55.88
		2019-20	2	13.79	2	13.79	शून्य	शून्य	2	13.79

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
12.	मृदा एवं जल संरक्षण (2402)	2016-17	2	59.40	2	0.59	2	0.59	शून्य	शून्य
		2017-18	84	1.20	11	0.20	8	0.14	3	0.06
		2018-19	19	0.85	3	0.11	1	0.09	2	0.02
		2019-20	11	0.49	11	0.49	शून्य	शून्य	11	0.49
13.	पशुपालन (2403)	2017-18	86	74.08	2	0.04	1	0.02	1	0.02
		2018-19	94	113.85	28	1.23	15	0.72	13	0.51
		2019-20	37	124.01	37	124.01	शून्य	शून्य	37	124.01
14.	मत्स्य पालन (2405)	2019-20	6	0.42	6	0.42	शून्य	शून्य	6	0.42
15.	वानिकी एवं वन्यजीवन (2406)	2017-18	3	10.71	3	10.71	शून्य	शून्य	3	10.71
		2019-20	3	3.09	3	3.09	शून्य	शून्य	3	3.09
16.	सहकारिता (2425)	2017-18	5	155.80	5	155.80	5	155.80	शून्य	शून्य
		2018-19	6	84.24	2	48.98	2	48.98	शून्य	शून्य
17.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (2501)	2015-16	103	64.19	4	1.10	शून्य	शून्य	4	1.10
		2016-17	87	69.16	20	47.09	शून्य	शून्य	20	47.09
		2017-18	112	135.06	49	103.28	शून्य	शून्य	49	103.28
		2018-19	123	154.60	75	144.14	शून्य	शून्य	75	144.14
		2019-20	60	102.02	60	102.02	शून्य	शून्य	60	102.02
18.	ग्रामीण रोजगार (2505)	2014-15	165	333.36	2	1.16	शून्य	शून्य	2	1.16
		2015-16	48	285.52	9	12.76	शून्य	शून्य	9	12.76
		2016-17	7	218.78	2	119.22	शून्य	शून्य	2	119.22
		2017-18	15	211.07	15	211.07	शून्य	शून्य	15	211.07
		2018-19	9	201.78	8	201.78	शून्य	शून्य	8	201.78
		2019-20	4	61.97	4	61.97	शून्य	शून्य	4	61.97
19.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2515)	2009-10	68	366.26	1	10.85	शून्य	शून्य	1	10.85
		2010-11	48	267.83	8	40.08	1	7.00	7	33.08
		2011-12	222	722.40	41	137.00	शून्य	शून्य	41	137.00
		2012-13	266	882.65	39	88.02	शून्य	शून्य	39	88.02
		2013-14	249	1,263.49	69	368.67	शून्य	शून्य	69	368.67
		2014-15	3,871	1,191.66	57	179.90	2	10.56	55	169.34
		2015-16	3,845	1,261.94	95	152.75	शून्य	शून्य	95	152.75
		2016-17	4,166	2,262.96	134	289.35	1	16.67	133	272.68
		2017-18	3,652	1,127.58	64	205.68	शून्य	शून्य	64	205.68
		2018-19	4,015	2,228.45	241	1,181.31	4	133.62	237	1,047.69
2019-20	355	2,757.15	355	2,757.15	शून्य	शून्य	355	2,757.15		
20.	कमांड एरिया डेवलपमेंट (2705)	2018-19	19	70.70	13	53.26	10	42.46	3	10.80
		2019-20	16	104.25	16	104.25	शून्य	शून्य	16	104.25
21.	ग्राम एवं लघु उद्योग (2851)	2018-19	18	17.30	2	2.03	2	2.03	शून्य	शून्य
		2019-20	1	0.13	1	0.13	शून्य	शून्य	1	0.13
22.	उद्योग (2852)	2015-16	28	31.02	1	3.69	1	3.69	शून्य	शून्य
		2016-17	36	61.70	8	10.46	3	9.21	5	1.25
		2017-18	23	126.50	5	61.89	शून्य	शून्य	5	61.89
		2018-19	25	78.49	11	49.82	शून्य	शून्य	11	49.82
		2019-20	7	16.30	7	16.30	शून्य	शून्य	7	16.30
23.	नागर विमानन (3053)	2018-19	2	0.80	2	0.80	2	0.80	शून्य	शून्य
		2019-20	1	0.17	1	0.17	शून्य	शून्य	1	0.17

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
24.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2015-16	52	21.94	2	3.32	2	3.32	शून्य	शून्य
		2017-18	31	14.13	3	2.96	3	2.96	शून्य	शून्य
		2018-19	39	19.03	8	7.29	7	7.14	1	0.15
		2019-20	6	4.07	6	4.07	6	4.07	शून्य	शून्य
25.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण (3435)	2014-15	12	2.17	1	0.10	शून्य	शून्य	1	0.10
		2016-17	4	1.62	1	0.30	शून्य	शून्य	1	0.30
		2018-19	3	1.37	2	0.35	शून्य	शून्य	2	0.35
		2019-20	2	1.61	2	1.61	शून्य	शून्य	2	1.61
26.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं (2070)	2018-19	5	23.72	3	6.40	शून्य	शून्य	3	6.40
		2019-20	5	22.75	5	22.75	शून्य	शून्य	5	22.75
27.	विविध सामान्य सेवाएं (2075)	2018-19	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य
28.	अन्य सामाजिक सेवाएं (2250)	2018-19	1	0.19	1	0.19	शून्य	शून्य	1	0.19
		2019-20	1	0.13	1	0.13	शून्य	शून्य	1	0.13
29.	पर्यटन (3452)	2018-19	11	0.49	6	0.34	6	0.34	शून्य	शून्य
		2019-20	10	0.84	10	0.84	शून्य	शून्य	10	0.84
30.	नागरिक आपूर्ति (3456)	2015-16	28	8.22	17	0.05	17	0.05	शून्य	शून्य
		2017-18	14	0.04	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
31.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (3475)	2019-20	1	0.10	1	0.10	शून्य	शून्य	1	0.10
कुल			31,267	44,210.77	2,734	17,023.07	292	2,472.29	2,442	14,550.78

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 98)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2021 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला	2012-13 से 2021-22	2018-19	2017-18	2015-16	2019-20 एवं 2020-21	14 माह एवं 2 माह (07-09-2021)
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	2018-19 से 2022-23	2018-19 (18-12-2019)	2018-19 (10-08-2020)	2017-18	2019-20	एक वर्ष
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.), पंचकुला	नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा का प्रावधान राज्य विधानमंडल के अधिनियम में दिया गया है	2019-20	2017-18	2015-16	2020-21	दो माह
4.	हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, पंचकुला	2019-20 से 2023-24	2019-20	2018-19	2016-17	2020-21	दो माह
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2020-21 से 2024-25	2019-20	2019-20 (08-07-2021)	2018-19 (05-03-2021)	2020-21	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला छावनी	2018-19 से 2022-23	2017-18	2017-18	प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं	2018-19 से 2020-21	दो वर्ष
7.	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (गु.म.वि.प्रा.)	2017-18 से 2020-21	2019-20	--	--	2020-21	दो माह (07-09-2021)
8.	हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17 से 2020-21	चार वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), भिवानी	-सम-	2019-20	2018-19	1996-97	2020-21	--
10.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फरीदाबाद	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
11.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फतेहाबाद	-सम-	2020-21	2017-18	1996-97		--
12.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., गुरुग्राम	-सम-	2016-17	2016-17	1999-2000	2017-18 एवं 2020-21	तीन वर्ष
13.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., झज्जर	-सम-	2018-19	2014-15	2011-12	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2021 तक)
14.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कैथल	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2019-20	2017-18	1996-97	2020-21	--
15.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पंचकुला	-सम-	2018-19	2017-18	1999-2000	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
16.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पानीपत	-सम-	2018-19	2016-17	1996-97	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
17.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रेवाड़ी	-सम-	2020-21	2017-18	1996-97	--	--
18.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रोहतक	-सम-	2018-19	2018-19	1996-97	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
19.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सोनीपत	-सम-	2020-21	2017-18	1996-97	--	--
20.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., यमुनानगर	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17 एवं 2020-21	चार वर्ष
21.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., हिसार	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19 से 2020-21	दो वर्ष
22.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नारनौल	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
23.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सिरसा	-सम-	2018-19	2017-18	2012-13	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
24.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., अंबाला	-सम-	2019-20	2018-19	2013-14	2020-21	-
25.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., जींद	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	2017-18 से 2020-21	तीन वर्ष
26.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., करनाल	-सम-	2019-20	2017-18	2009-10	2020-21	--
27.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कुरुक्षेत्र	-सम-	2019-20	2017-18	1996-97	2020-21	--
28.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., मेवात (नूंह)	-सम-	2017-18	2014-15	2009-10	2018-19 से 2020-21	दो वर्ष
29.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पलवल	-सम-	2019-20	2018-19	2012-13	2020-21	--
30.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., चरखी दादरी	-सम-	2019-20	2018-19	--	2020-21	--
31.	हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	-सम-	2018-19 (15-06-2020)	2018-19 (11-08-2021)	2009-10 (आगे से) अभी तक रखा जाना है	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
32.	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग	2019-20	2019-20	2019-20	2018-19	2020-21	2 माह (07-09-2021)

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2021 तक)
33.	हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई	2018-19	2012-13	2012-13	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
34.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	-सम-	अभी तक लेखे प्राप्त नहीं हुए	--	--	2013-14 से 2020-21	सात वर्ष
35.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्रा.) पंचकुला	2017-18 से 2019-20	2019-20	--	--	2020-21	2 माह (07-09-2021)
36.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्रा.) गुरुग्राम	2017-18 एवं 2018-19	2018-19	--	--	2019-20 से 2020-21	14 माह एवं 2 माह (07-09-2021)
37.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण सी.ए.एम.पी.ए., हरियाणा	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई	अभी तक लेखे प्राप्त नहीं हुए	--	--	2018-19 से 2019-20	दो वर्ष

## परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 99)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
1.	जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला कैंट	2018-19	8.11
		2019-20	10.80
2.	एस.डी. कॉलेज, अंबाला कैंट	2017-18	10.31
		2018-19	8.35
		2019-20	12.68
3.	आर्य गर्ल्स कॉलेज, अंबाला कैंट	2018-19	3.23
		2019-20	4.06
4.	डी.ए.वी. कॉलेज, अंबाला शहर	2018-19	8.95
		2019-20	11.60
5.	एस.ए. जैन कॉलेज, अंबाला शहर	2017-18	6.94
		2018-19	6.32
		2019-20	9.70
6.	एम.डी.एस.डी. कॉलेज, अंबाला शहर	2017-18	2.57
		2018-19	2.50
		2019-20	4.00
7.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, अंबाला शहर	2017-18	1.87
		2018-19	2.02
		2019-20	2.01
8.	एस.एम. लुबाना खालसा गर्ल्स कॉलेज, बरारा, अंबाला	2017-18	2.94
		2018-19	3.53
		2019-20	3.19
9.	डी.ए.वी. कॉलेज, नैनौला, अंबाला	2017-18	1.07
		2018-19	2.14
		2019-20	1.47
10.	एम.पी.एन. कॉलेज, मुलाना (अंबाला)	2017-18	3.17
		2018-19	4.80
		2019-20	3.69
11.	डी.ए.वी. कॉलेज, करनाल	2018-19	2.90
		2019-20	4.72
12.	डॉ. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, करनाल	2018-19	0.87
		2019-20	1.08
13.	के.वी.डी.ए.वी. महिला कॉलेज, करनाल	2016-17	5.00
		2018-19	4.82
		2019-20	6.75
14.	दयाल सिंह कॉलेज, करनाल	2018-19	9.76
		2019-20	9.19
15.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल	2018-19	4.01
		2019-20	2.62
16.	आई.बी. कॉलेज, पानीपत	2018-19	5.63
		2019-20	6.29
17.	एस.डी. कॉलेज, पानीपत	2019-20	10.53
18.	आर्य कॉलेज, पानीपत	2018-19	5.44
		2019-20	6.78

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
19.	गांधी आदर्श कॉलेज, समालखा, पानीपत	2018-19	0.05
		2019-20	0.80
20.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, समालखा (पानीपत)	2018-19	1.34
		2019-20	2.26
21.	सी.आर. किसान कॉलेज, जींद	2018-19	4.30
		2019-20	5.34
22.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2018-19	3.45
		2019-20	4.23
23.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना, जींद	2018-19	1.91
		2019-20	1.39
24.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर	2019-20	15.42
25.	गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	2018-19	8.25
		2019-20	11.37
26.	एम.एल.एन. कॉलेज, यमुनानगर	2018-19	8.68
		2019-20	12.52
27.	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	2018-19	5.74
		2019-20	7.81
28.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, जगाधरी, यमुनानगर	2018-19	3.80
		2019-20	5.82
29.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जगाधरी	2018-19	1.83
		2019-20	2.89
30.	एम.एल.एन. कॉलेज, रादौर	2018-19	1.84
		2019-20	1.75
31.	डी.ए.वी. कॉलेज, सद्दौरा	2018-19	2.47
		2019-20	2.86
32.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2018-19	4.33
		2019-20	6.36
33.	आई.जी. नेशनल कॉलेज, लाडवा, कुरुक्षेत्र	2018-19	3.51
		2019-20	5.73
34.	भगवान परशुराम कॉलेज, कुरुक्षेत्र	2018-19	4.97
		2019-20	6.49
35.	एम.एन. कॉलेज, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	2018-19	3.32
		2019-20	5.09
36.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	2018-19	4.85
		2019-20	6.58
37.	डी.ए.वी. कॉलेज, पिहोवा	2018-19	4.05
		2019-20	6.29
38.	एस.एन.आर.एल. जय राम गर्ल्स कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र	2018-19	1.62
		2019-20	1.89
39.	आर.के.एस.डी. कॉलेज, कैथल	2018-19	6.85
		2019-20	8.99
40.	आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल	2018-19	1.23
		2019-20	0.63
41.	डी.ए.वी. कॉलेज, पुंडरी	2018-19	2.68
		2019-20	2.58
42.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुंडरी	2018-19	3.85
		2019-20	5.54

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
43.	बी.ए.आर. जनता कॉलेज, कौल, कैथल	2018-19	2.55
		2019-20	4.70
44.	डी.ए.वी. कॉलेज, चीका	2018-19	3.62
		2019-20	4.59
45.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान, कैथल	2018-19	3.94
		2019-20	5.23
46.	एम.एम. कॉलेज, फतेहाबाद	2017-18	3.28
		2018-19	3.45
		2019-20	5.30
47.	सी.एम.के. नेशनल गर्ल्स कॉलेज, सिरसा	2018-19	3.49
		2019-20	4.08
48.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2018-19	2.08
		2019-20	1.75
49.	एम.पी. गर्ल्स कॉलेज, डबवाली	2018-19	2.28
		2019-20	3.67
50.	बी.एस.के. शिक्षा कॉलेज, मंडी डबवाली	2018-19	0.76
		2019-20	1.25
51.	सी.आर.एम. जाट कॉलेज, हिसार	2018-19	6.90
		2019-20	6.84
52.	डी.एन. कॉलेज, हिसार	2018-19	7.49
		2019-20	9.91
53.	एफ.सी. कॉलेज फॉर विमेन, हिसार	2018-19	3.25
		2019-20	4.21
54.	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, हिसार	2018-19	2.33
		2019-20	1.46
55.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2018-19	1.18
		2019-20	1.20
56.	सी.आर.ए. कॉलेज, सोनीपत	2018-19	4.43
		2019-20	6.04
57.	हिंदू कॉलेज, सोनीपत	2016-17	7.12
		2017-18	6.80
		2018-19	6.08
		2019-20	10.00
58.	हिंदू शिक्षा कॉलेज, सोनीपत	2019-20	2.54
59.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	2018-19	5.64
		2019-20	10.63
60.	टी.आर. शिक्षा कॉलेज, सोनीपत	2019-20	1.06
61.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2018-19	8.26
		2019-20	11.33
62.	टी.आर. गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	2018-19	2.80
		2019-20	2.79
63.	कन्या महाविद्यालय, खरखौदा, सोनीपत	2018-19	2.73
		2019-20	2.75
64.	वैश्य कॉलेज, भिवानी	2018-19	5.25
		2019-20	7.41
65.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2018-19	4.17
		2019-20	5.64

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
66.	के.एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भिवानी	2018-19	1.14
		2019-20	0.89
67.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. कॉलेज, चरखी दादरी	2018-19	6.80
		2019-20	6.11
68.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी	2018-19	1.54
		2019-20	1.32
69.	एम.एल.आर.एस. शिक्षा कॉलेज, चरखी दादरी	2018-19	1.10
		2019-20	1.01
70.	बी.एल.जे. सुईवाला कॉलेज, तोशाम	2018-19	2.86
		2019-20	3.08
71.	महिला महाविद्यालय, झोझू कलां, भिवानी	2018-19	1.22
		2019-20	1.17
72.	वाई.एम. डिग्री कॉलेज, नूंह	2018-19	1.85
		2019-20	2.57
73.	निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज, सोहना, गुरुग्राम	2018-19	1.92
		2019-20	2.34
74.	आर.एस.एल. शिक्षा कॉलेज, सिधरावाली, गुरुग्राम	2018-19	1.79
		2019-20	2.05
75.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2018-19	1.22
		2019-20	1.94
76.	एम.ए. महिला कॉलेज, झज्जर	2018-19	4.48
		2019-20	3.80
77.	जी.जी.डी.एस.डी. कॉलेज, पलवल	2018-19	6.89
		2019-20	8.53
78.	अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़	2018-19	5.07
		2019-20	6.76
79.	के.एल. मेहता डी.एन. कॉलेज फॉर विमेन, फरीदाबाद	2018-19	4.02
		2019-20	6.41
80.	डी.ए.वी. सेंटनरी कॉलेज, फरीदाबाद	2018-19	3.55
		2019-20	5.02
81.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2018-19	2.65
		2019-20	3.95
82.	के.एल.पी. कॉलेज, रेवाड़ी	2019-20	9.49
83.	एस.पी. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2018-19	0.98
		2019-20	1.26
84.	अहीर कॉलेज, रेवाड़ी	2018-19	3.70
		2019-20	6.43
85.	आर.बी.एस. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2018-19	0.81
		2019-20	0.71
86.	आर.डी.एस. पब्लिक गर्ल्स कॉलेज, रेवाड़ी	2019-20	0.47
87.	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, कोसली, रेवाड़ी	2018-19	0.48
		2019-20	1.12
88.	ऑल इंडिया जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज, रोहतक	2018-19	13.70
		2019-20	16.02
89.	जी.बी. डिग्री कॉलेज, रोहतक	2018-19	2.50
		2019-20	3.34

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
90.	श्री एल.एन. हिंदू कॉलेज, रोहतक	2018-19	4.58
		2019-20	4.95
91.	वैश्य कॉलेज, रोहतक	2018-19	5.00
		2019-20	6.44
92.	जी.बी. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2018-19	1.22
		2019-20	2.14
93.	वैश्य शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2018-19	0.79
		2019-20	0.92
94.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, रोहतक	2018-19	4.04
		2019-20	5.85
95.	एस.जे.के. कॉलेज, कलानौर, रोहतक	2018-19	3.63
		2019-20	4.78
96.	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2018-19	1.87
		2019-20	2.41
97.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2018-19	4.51
		2019-20	5.95
<b>कुल</b>			<b>883.36</b>

**परिशिष्ट 4.4**

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.16; पृष्ठ 100)

**विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी**

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखों के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम <sup>1</sup>	1988-89	-	1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।
2.	कृषि	कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.01	विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् कीटनाशकों/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	-
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2017-18	9,098.50	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2014-15	1,155.99	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
<b>कुल</b>				<b>10,272.47</b>	

<sup>1</sup> ये स्कीमें 1986-87 (कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

## परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.3; पृष्ठ 106)

## हरियाणा में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम/क्षेत्र
<b>विद्युत क्षेत्र</b>	
1.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
2.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
3.	हरियाणा विद्युत परसरण निगम लिमिटेड
4.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
5.	सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड
<b>वित्त क्षेत्र</b>	
6.	हरियाणा वित्तीय निगम
7.	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड
8.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
9.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड
10.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड
11.	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड*
<b>सेवा क्षेत्र</b>	
12.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
13.	हार्डवेयर इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड
14.	गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड
15.	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड
16.	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड
17.	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन
18.	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड
19.	हरियाणा पर्यटन लिमिटेड
20.	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड <sup>ss</sup>
<b>आधारभूत संरचना क्षेत्र</b>	
21.	हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड
22.	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
23.	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
24.	हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड
25.	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26.	हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
27.	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28.	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड <sup>ss</sup>
<b>अन्य क्षेत्र</b>	
29.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड
30.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड
31.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
32.	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड
33.	हरियाणा राज्य भंडारण निगम
34.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड
35.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड*
36.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड
37.	हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड*

नोट: \* निष्क्रिय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम।

<sup>ss</sup> राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनके संबंध में प्रथम लेखे प्रतीक्षित हैं।